

**MAHARSHI DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY,
AJMER**



UNIVERSITY ACT

**Amended Act, 1992 (Act No. 17 of 1992)
(Together with Hindi Version)**

**AJMER
2005**

ERRATA

page No.	Line No.	Printed Incorrectly	To be read as
1	4	No. F.2(38) Vidhyai /87	No. F.2(38) Vidhyai /87.
	8	(AdhiniyamSankhya38 San 1987)-	(AdhiniyamSankhya38 San 1987):-
	22	Short title and commencement -	Short title and commencement.-
2.	2	requires --	requires,
3.	26	immovabl	immovable
		oth-rwise	otherwise
4.	28	to establish	to establish,
5.	26	- inisterial	ministerial
6.	17	Jurisdiction -	Jurisdiction.-
7.	26	O-inion	Opinion
11.	6	Act.	Act :
	15	p-portu-ity	opportunity
	19	it	it.
15.	27	cer-ain	certain
17.	6	notice	notice.
18.	4	college	college,
	8	ther-on	thereon
19.	6	auto--nous	autonomous status
	10	educa-ion	education
	12	B-ard	Board
	30	Appoin-me-ts	Appointments
20.	7	Pension	Pension Fund
	33	882	1882
22.	9	Leg-slature	Legislature
	24	de-e-mine	determine
	25	-ther	other
	30	prop-rty	property
	32	con-ribution	contribution
23.	6	in-stituio-s	institutions
25.	15 to 24	be read as under in palce of existing.	

statute 1(7) as amended by the approval of the Board of Management and the assent of the Chancellor obtained on 6-5-1989 is as under :

1(7) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be as follows :

- (a) Pay as per U. G. C. pay-scales as approved by the State Government.
- (b) Free Furnished official residence.
- (c) All such allowances as are admissible to a Professor of the University for other than teaching purposes as applicable to the pay being drawn; and
- (d) Such terminal benefits and allowances as are sanctioned from time to time by the Board of Management with the approval of the chancellor or under the Ordinances of the University

26.	24	Consideration	consideration;
34.	22	Principal	Principals
37	1	o-her	other
	25	not-ce	notice
41.	2	education	educational
	13	maintain-d	maintained

शुद्धि पत्र

पृष्ठ सं.	पंक्ति सं.	जो छपा है	जो पढ़ा जावे
13	28	विनिश्च-करे-	विनिश्चित करेगा
20	8 से 15 को	निम्नानुसार पढ़ें -	

प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति एवम् 6-5-1989 को कुलाधिपति महोदय की प्राप्त सहमति से संशोधित 1 (7) निम्नवत् हैं-

- 1(7) कुलपति का वेतन तथा अन्य शर्तें निम्नवत् होंगे -
 - (अ) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतन श्रृंखला में मूल वेतन।
 - (ब) निशुल्क सुसज्जित सरकारी आवास
 - (स) मूल वेतन पर लागू सभी भत्ते जो कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त स्वीकृत हैं, तथा
 - (द) अन्य अतिरिक्त लाभ एवं भत्ते जो कि कुलाधिपति की स्वीकृति से प्रबन्ध मण्डल द्वारा अथवा विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्स के अन्तर्गत समय-समय पर स्वीकृत हों।

LAW AND LEGISLATIVE DRAFTING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, November 7, 1987

No. F.2 (38) vidhai/87- In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Ajmer Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1987 (adhiniyam Sankhya38, San 1987) –

(English Translation)

THE UNIVERSITY OF AJMER ACT, 1987.

(Act No. 38 of 1987)

[Received the Assent of the Governor on the 7th Day of November, 1987]

An

Act

to establish and incorporate a University at Ajmer in the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Thirty-eighth year of the Republic of India as follows –

{प्रथम बार राजस्थान राज-पत्र, विशेषांक भाग 4(क) दिनांक 7-11-87 में प्रकाशित हुआ।}

विधि एवं विधायी प्रारूपण विभाग

अधिसूचना

जयपुर नवम्बर 7, 1987

संख्या प. 2(41) विधायी/87 :- राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 7 नवम्बर, 1987 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

अजमेर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987

(1987 का अधिनियम संख्या 38)

{ राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 7 नवम्बर, 1987 को प्राप्त हुई }

राजस्थान राज्य में अजमेर में एक विश्वविद्यालय स्थापित और नियमित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्न लिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात् :-

Chapter – 1

Preliminary

1. Short Title and commencement – (1) This Act may be called the University of Ajmer Act, 1987.

(2) It shall and shall be deemed to have come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. Definitions – In this Act, unless the context otherwise requires : -

- (a) "Academic Council" means the Academic Council of the University as constituted under section 12;
- (b) "Affiliated College" means an educational institution admitted to the privilege of the University;
- (c) "Appointed Day" means the date appointed under sub-section (2) section 1 for the coming into force of this act;
- (d) "Autonomous College" means an educational institution declared as such under the provisions of this Act;
- (e) "Authority" means an Authority of the University as specified by or declared under section 10;
- (f) "Board" means the Board of Management of the University as constituted under section 11;
- (g) "employee" means an person appointed by the University other than a teacher of the University;
- (h) "Government" means the Government of the state of Rajasthan;
- (i) "institution" means an institution recognised or approved as such by the university under the provisions of this act;
- (j) "Officer" means an officer of the University as specified by or declared under section 18;

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इस अधिनियम का नाम अजमेर, विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा और हुआ समझा जायेगा जिसे राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएँ – इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

- (क) “विद्या परिषद्” से विश्वविद्यालय की धारा 12 के अधीन गठित विद्या परिषद् अभिप्रेत है;
- (ख) “संबद्ध महाविद्यालय” से विश्वविद्यालय विशेषाधिकारों के लिए अंगीकृत कोई महाविद्यालय अभिप्रेत है;
- (ग) “नियत दिन से इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के लिए धारा – 1 की उपधारा (2) के अधीन नियत तारीख अभिप्रेत है;
- (घ) “स्वायत्त महाविद्यालय” से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन इस रूप में घोषित कोई शैक्षिक संस्था अभिप्रेत है;
- (ङ) “प्राधिकरण” से विश्वविद्यालय का, धारा 10 द्वारा विनिर्दिष्ट या उसके अधीन घोषित कोई प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (च) “बोर्ड” से विश्वविद्यालय का, धारा 11 के अधीन गठित प्रबन्ध बोर्ड अभिप्रेत है;
- (छ) “कर्मचारी” से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक से भिन्न, विश्व विद्यालय में उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ज) “सरकार” से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
- (झ) “संस्था” से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यताप्राप्त या अनुमोदित कोई संस्था अभिप्रेत है;
- (ञ) “अधिकारी” से धारा 18 के द्वारा विनिर्दिष्ट या उसे अधीन घोषित, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या अभिप्रेत है;

- (k) "Ordinance" or an "ordinance of the University" shall mean an ordinance made under section 22;
- (l) "prescribed" means prescribed by the Statutes of the University;
- (m) "Principal" means the chief executive officer of a college or any person duly appointed to act as such ;
- (n) "Regulation" means the regulations made by any Authority of the University under this Act;
- (o) "State" means the State of Rajasthan;
- (p) "Statute" means the Statutes of the University made under this Act;
- (q) "Student" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma, certificates or other academic distinction;
- (r) "Teacher" means a professor, Associate professor, Assistant professor, Reader or Lecturer or any other person appointed or recognised by the University for imparting instruction to students or guiding research work or engaged for giving training or instructions and includes a person declared by the Statutes to be a teacher; and
- (s) "University" means the University of Ajmer established by and under this Act.

Chapter – II

The University

3. Incorporation of the University – (1) The Chancellor, the First Vice-Chancellor, the first members of the Board of Management and the Academic Council of the University, and all persons who may hereafter become such officers or members so long as they continue to hold such office or membership, shall constitute a body corporate by the name of "The University of Ajmer".

- (ट) "अध्यादेश" या "विश्वविद्यालय का अध्यादेश" से धारा 22 के अधीन बनाया गया कोई अध्यादेश अभिप्रेत है;
- (ठ) "विहित" से विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ड) "प्राचार्य" से किसी महाविद्यालय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या इस कार्य में करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ढ) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियम अभिप्रेत है;
- (ण) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;
- (त) "परिनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के परिनियम अभिप्रेत है;
- (थ) "छात्र" से किसी डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र या अन्य शैक्षणिक विशिष्टता हेतु कोई पाठ्यक्रम लेने के लिए विश्वविद्यालय में अभ्यावेशित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (द) "अध्यापक" से कोई आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, उपाचार्य या प्राध्यापक या छात्रों को शिक्षा प्रदान करने या अनुसंधान कार्य का मार्गदर्शन करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्य या प्रशिक्षण अथवा शिक्षा प्रदान करने के लिए लगाया गया कोई भी अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें परिनियमों द्वारा अध्यापक के रूप में घोषित कोई व्यक्ति सम्मिलित है; और
- (ध) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित अजमेर विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

अध्याय 2

विश्वविद्यालय

3. विश्वविद्यालय का निगमन – (1) कुलाधिपति, पहला कुलपति और विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद के पहले सदस्य और समस्त व्यक्ति जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य बनें, जब तक वे पद या सदस्यता को धारित करते रहें " अजमेर विश्वविद्यालय" के नाम से एक निगमित निकाय गठित करेंगे।

(2) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(3) Subject to the provisions of this Act the University shall be competent to acquire and hold property both movable and immovable property which may be vested in or has been acquire by it for the purposes of the University, and to enter into contract and to do all such other things as may be necessary for the furtherance of the purposes of this act.

(4) The Head Office of the University shall be a Ajmer which shall be the headquarters of the Vice-Chancellor and it may established or maintain Regional Centers and Schools of Studies or Departments of Studies at such places in Rajasthan as it may think fit.

4. Objects of the University – The university shall extend and regulate its functions for the following objects namely :-

- (a) For imparting education in various branches of learning and courses;
- (b) for advancement of learning and research work in various branches of learning;
- (c) for undertaking extension education programmes;
- (d) for providing training of college teachers to up-date their knowledge
- (e) for organizing specially designed orientation programmes in teaching methodologies and pedagogy;
- (f) for undertaking work relating to updating and modernizing curricula and examination reform; and
- (g) for such other work-activity or project as the University may deem pro-per to undertake in order to achieve its objects.

5. Powers and Functions of the University – (1) The University shall exercise the powers and perform the functions as under : -

- (a) to provide for instructions, extension training and consultancy in such branches of learning as it may think fit;
- (b) to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge;

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत् उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा और उसी से उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन, विश्वविद्यालय जंगम या स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारित करने, कोई भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति जो विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए उसमें निहित की जाये या उसके द्वारा अर्जित की जाये, पट्टाकृत, विक्रित या अन्यथा अन्तरित या व्ययनित करने और कोई संविदा करने और ऐसी अन्य सभी बातें करने के लिए सक्षम होगा जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के अग्रसरण के लिए आवश्यक हों।

(4) विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यालय अजमेर में होगा जो कुलपति का मुख्यालय होगा और वह राजस्थान में ऐसे स्थानों पर क्षेत्रिय केन्द्र और विद्या शाखाएँ या अध्ययन विभाग स्थापित या संधारित कर सकेगा जिन्हे वह उचित समझे।

4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य – विश्वविद्यालय अपने कृत्यों का विस्तार और विनियमन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए करेगा, अर्थात् :-

- (क) ज्ञान और पाठ्यक्रमों की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा प्रदान करना;
- (ख) ज्ञान का और ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान कार्य का अभिवर्धन;
- (ग) विस्तार शिक्षा कार्यक्रम हाथ में लेना;
- (घ) महाविद्यालय अध्यापकों की उनके ज्ञान को अद्यतन करने के लिए प्रशिक्षण देना;
- (ङ) शिक्षण-रीति विज्ञान और पैडागोगी में विशेषतः परिकल्पित अभिसंस्करण कार्यक्रम आयोजित करना;
- (च) पाठ्यक्रम का आदिनांकन और आधुनिकरण तथा परीक्षा सुधार से संबंधित कार्य हाथ में लेना; और
- (छ) ऐसा अभ्य कार्य, क्रियाकलाप या परियोजना, जिसे विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हाथ में लेना उचित समझे।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य – (1) विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्योंका पालन करेगा :-

- (क) ज्ञान की ऐसी शाखाओं में शिक्षा, विस्तार, प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करना जिन्हे वह उचित समझे;
- (ख) अनुसंधान के लिए और ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसारण के लिए उपबन्ध करना;

- (c) to make such provision as would enable affiliated and recognised colleges, recognised and approved institutions to undertake specialized studies;
- (d) to establish maintain and manage colleges, teaching departments, schools of studies, centers of studies and institutes, halts and extension education centers;
- (e) to organize common laboratories, libraries museums, audio visual, computer and other teaching aids for teaching research;
- (f) to prescribe the courses of instruction and studies for the various examinations and evaluation thereof;
- (g) to determine the standards for admission and the method of admission into the University and its affiliated colleges, which method may include examinations, evaluation and other modes of testing;
- (h) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;
- (i) to hold examination and confer degrees diplomas, certificates and other academic distinctions on persons who have pursued approved courses of study in the university or in an affiliated college or have carried on research under conditions prescribed by the statutes; Ordinances and Regulations;
- (j) to withdraw degrees, diplomas certificates and other academic distinctions for good and sufficient reasons;
- (k) to confer honorary degrees or other academic distinctions on approved persons in the manner prescribed in the statutes;
- (l) to admit to the privileges of the University, Colleges and Institutions not maintained by the University and withdraw all or any of these privileges;
- (m) to confer autonomous status on a College, institution or department as the case may be, subject to such conditions as may be laid down in this Act, or as may be prescribed by the Statutes and to withdraw the autonomy;

- (ग) ऐसा उपबन्ध करना जो संबद्ध और मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त और अनुमोदित संस्थाओं को विशिष्ट अध्यापन हाथ में लेने के लिए समर्थ बना सके।
- (घ) महाविद्यालय, अध्यापन विभाग, विद्या शाखाएँ, अध्ययन केन्द्र और संस्थाएँ, छात्र निवास और विस्तार शिक्षा केन्द्र स्थापित, संधारित और प्रबंधित करना;
- (ङ) अध्यापन और अनुसंधान के लिए सामान्य प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, संग्रहालय, श्रव्य दृश्य और कम्प्यूटर और अन्य शिक्षण सहाय आयोजित करना;
- (च) विभिन्न परीक्षाओं और उनके मूल्यांकन के लिए शिक्षा और अध्ययन पाठ्यक्रम विहित करना;
- (छ) विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए स्तरमान और प्रवेश की रीति जिसमें परीक्षाएँ, मूल्यांकन और जांची के अन्य ढंग शामिल हैं, अवधारित करना;
- (ज) डिग्री, डिप्लोमे, प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ संस्थित करना;
- (झ) परीक्षाएँ आयोजित करना और ऐसे व्यक्तियों की, जिन्होंने विश्वविद्यालय में या किसी संबद्ध महाविद्यालय में अनुमोदित पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया हो या परिणयों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा विहित शर्तों के अधधीना अनुसंधान किया हो, डिग्री डिप्लोमें, प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ प्रदत्त करना।
- (ञ) डिग्रीयों, डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों और अन्य शैक्षणिक उपाधियों को अच्छे और पर्याप्त कारणों से वापस लेना।
- (ट) अनुमोदित व्यक्तियों को परिणयों में विहित रीति से सम्मानित उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ प्रदत्त करना।
- (ठ) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नहीं किये जा रहे महाविद्यालयों और संस्थाओं को विश्वविद्यालय-जन्य विशेषाधिकारों के लिए अंगीकृत करना और उन सभी या उनमें से किसी भी विशेषाधिकार की वापसी लेना;
- (ड) किसी महाविद्यालय, संस्था या यथास्थिति, विभाग को ऐसी शर्तों के अधधीन, जो इस अधिनियम में अधिकथित की जायें, या जो परिणयों द्वारा विहित की जायें, स्वायत्त प्रास्थिति प्रदत्त करना और उक्त स्वायत्तता वापस लेना;

- (n) to create academic, administrative, ministerial and other necessary posts in the University and to make appointment therto;
- (o) To prescribe qualifications and terms and conditions of service of the members of the teaching other academic and no-teaching staff in the affiliated or recognised colleges and recognised and approved institutions;
- (p) to regulate the fees and other charges to be paid by the students in constituent, affiliated and recognised colleges, and recognised and approved institutions;
- (q) To enforce and maintain discipline among the teachers students, officers and staff and to make necessary arrangements in order to promote their welfare and to improve their service conditions;
- (r) to build, maintain and manger buildings, offices, residences, hostels, etc. for teachers, students, officers and staff;
- (s) to recognize hostels no maintained by the University, to inspect such hostels and to withdraw recognition there-form; and
- (t) to do all such other acts, whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be requisite in order to further the objects of the university or which are incidental or ancillary to achieve those objects.

6. territorial Jurisdiction – Subject to the provisions of the University of Rajasthan Act, 1946, the Jodhpur University Act, 1962 (Rajasthan Act 17 of 1962), the Mohan Lal Sukhadia University Act, 1962 (Rajasthan Act 18 of 1962) and any other law for the time being inforce, the jurisdiction of the University shall extend to and the powers conferred by or under this Act shall be exercisable throughout the territory of the state of Rajasthan.

7. University open to all classes – The university shall, subject to the provisions of this Act and the statutes, be open to all person irrespective of their caste creed, race class or sex;

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making any special provision of reservation for persons belonging to scheduled castes or scheduled tribes or any other weaker sections of the society.

- (ढ) विश्वविद्यालय, में शैक्षणिक प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय और अन्य आवश्यक पद सृजित करना और उन पर नियुक्ति करना;
- (ण) संबद्ध या मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त और अनुमोदित संस्थाओं में अध्यापन, अन्य शैक्षणिक और अध्यापनेतर कर्मचारी वृन्द के सदस्यों की सेवा की अर्हताएं और निबन्धन तथा शर्तें विहित करना।
- (त) घटक, संबद्ध और मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त और अनुमोदित संस्थाओं में छात्रों द्वारा संदत्त की जाने वाली फीस और अन्य प्रभारों को विनियमित करना।
- (थ) अध्यापकों, छात्रों, अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द में अनुशासन को प्रवृत्त करना और बनाये रखना तथा उनके कल्याण के संवर्धन की और उनकी सेवा शर्तें सुधारने की दृष्टि से आवश्यक व्यवस्थाएँ करना;
- (द) अध्यापकों, छात्रों, अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द के लिए भवनों, कार्यालयों, निवास स्थानों, छात्रावासों इत्यादि का निर्माण, संधारण और प्रबन्ध करना;
- (ध) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नहीं किए जा रहे छात्रावासों को मान्यता देना, ऐसे छात्रावासों का निरीक्षण करना और उनकी मान्यता वापस लेना और
- (न) ऐसे समस्त अन्य कार्य चाहे वे उपर्युक्त शक्तियोंके आनुवांशिक हों या नही, करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो या जो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आनुषंगिक या सहायक हों।

6. क्षेत्रिय अधिकारिता – राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम 1946, जोधपुर विश्वविद्यालय अधिनियम 1962, (1962 का राजस्थान अधिनियम 17), मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय अधिनियम 1962 (1962 का राजस्थान अधिनियम 18) और तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन, विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार और इस अधिनियम के अधीन या द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के राज्य-क्षेत्र पर होगा।

7. विश्वविद्यालय सभी वर्गों के लिए खुला होगा – विश्वविद्यालय इस अधिनियम और परिनियमों के अधीन, सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा, चाहे उनकी जाति, पंथ, मूलवंश या वर्ग या लिंग कोई भी क्यों न हो :

परन्तु इस धारा में की कोई भी बात विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों अथवा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के विशेष उपबन्ध करने से रोकने वाली नहीं समझी जायेगी।

8. Chancellor :- (1) The Governor of the State shall be the ex-officio Chancellor of the University.

(2) The Chancellor may give any direction, take any action and do anything as may be necessary under the provisions of this Act and the Statutes.

9. Power to order inspection or enquiry – (1) The Chancellor shall have power to order an inspection, by such person as he may appoint, of the University and its buildings, laboratories, centers, libraries, museums, workshops and equipments and also of any institution, college or hostel administered, controlled or maintained by the University. An inspection or enquiry may also be made, as directed by the Chancellor, into the teaching or other work conducted by or under the auspices of the University or any matter connected with the administration or the finance of the university.

(2) The Chancellor shall, before ordering an inspection or enquiry, give a notice to the University in this behalf. The University may appoint a person as its representative for being present and be heard at the inspection or enquiry.

(3) The Chancellor may communicate to the University his views on the result of the inspection or enquiry and may, after obtaining the comments of the University, advise the University on the action to be taken within a period fixed by him.

(4) The University shall, within the period so fixed, send a report to the Chancellor about the action taken or proposed to be taken with respect to the advice given by the Chancellor under sub-section(3).

(5) The chancellor may, where action is not taken by the university in accordance with the advice given by him under sub-section(3), issue directions, as he may deem fit, and the University shall be bound to comply with such directions.

(6) Where the Chancellor is of the opinion that the affairs of the University are not being conducted in furtherance of its objects or in accordance with the provision of this Act so as to maintain the standards of teaching, examination, research or extension programme, he may call upon it to send comments or explanation in this behalf. In case the University fails to send, or sends unsatisfactory comments or explanation, the Chancellor may issue such instructions as may appear to be necessary or desirable.

(7) The University shall furnish such information relating to its Administration as the Chancellor may require.

8. कुलाधिपति – (1) राज्य के राज्यपाल विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति होंगे।

(2) कुलाधिपति ऐसे कोई भी निर्देश दे सकेंगे, ऐसी कोई भी कार्यवाही और बात कर सकेंगे, जो इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन आवश्यक हो।

9. निरीक्षण या जाँच आदिष्ट करने की शक्ति – (1) कुलाधिपति की ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे वे नियुक्त करें, विश्वविद्यालय और उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, केन्द्रों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों का और विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित, नियंत्रित या अनुरक्षित किसी भी संस्था, महाविद्यालय या छात्रावास का भी निरीक्षण किये जाने का आदेश देने की शक्ति होगी। कुलाधिपति के निर्देशानुसार कोई निरीक्षण या जांच विश्वविद्यालय के द्वारा या उसके तत्वाधान में संचालित अध्यापन या अन्य कार्य के संबंध में या विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में की जा सकेगी।

(2) कुलाधिपति कोई निरीक्षण या जांच आदिष्ट करने के पूर्व इस संबंध में विश्वविद्यालय को नोटिस देंगे। विश्वविद्यालय निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और सुने जाने के लिए किसी व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(3) कुलाधिपति विश्वविद्यालय को निरीक्षण या जांच के परिणाम पर अपने विचार संसूचित कर सकेंगे और विश्वविद्यालय की टिप्पणियाँ प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय को अपने द्वारा नियत कालावधि के भीतर-भीतर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में परामर्श दे सकेंगे।

(4) विश्वविद्यालय इस प्रकार नियत कालावधि के भीतर-भीतर कुलाधिपति को उप-धारा(3) के अधीन कुलाधिपति द्वारा दिये गये परामर्श के संबंध में की गई या किये जाने के प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में प्रतिवेदन भेजेगा।

(5) कुलाधिपति जहां विश्वविद्यालय द्वारा उप-धारा (3) के अधीन स्वयं द्वारा दिये गये परामर्श के अनुसार कार्यवाही नहीं की जाये, ऐसे निर्देश जारी कर सकेंगे जो वे ठीक समझें, और विश्वविद्यालय ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

(6) जहां कुलाधिपति की यह राय हो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलाप उसके उद्देश्यों के अग्रसरण में या इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में संचालित नहीं किये जा रहे हैं कि जिससे अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान या विस्तार कार्यक्रम के स्तरमानों का अनुरक्षण होता हो वहाँ वे विश्वविद्यालय से इस निमित्त टिप्पणियाँ या स्पष्टीकरण भेजने की अपेक्षा कर सकेंगे। टिप्पणियाँ या स्पष्टीकरण भेजने में विश्वविद्यालय के असफल रहने पर या उन्हे असंतोषजनक रूप में भेजने की दशा में कुलाधिपति ऐसे अनुदेश जारी कर सकेंगे जो आवश्यकता वांछनीय प्रतीत हों।

(7) विश्वविद्यालय अपने प्रशासन के संबंध में ऐसी जानकारी देगा जिसकी कुलाधिपति अपेक्षा करें।

Chapter – III

Authorities of the University

10. Authorities :- The following shall be the Authorities of the University, namely :-

- (a) Board of Management
- (b) Academic Council;
- (c) Boards of Studies; and
- (d) Such other bodies as may be deducted by the Statutes to be the authorities of the University

11. Board of Management :- (1) The Vice-Chancellor shall, as soon as may be after appointed day, order the constitution of the Board of Management in accordance with the provisions of the Statutes.

(2) The Board shall consist of such members, exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

12. Academic Council :- (1) There shall be an Academic Council of the University which shall be in-charge of the academic affairs of the University and shall, subject to the provisions of this Act and the Statutes, supervise, control and regulate the standards of instructions and examinations in the University and all matters connected with education, training and research.

(2) The Academic Council of the University shall be constituted in accordance with the provisions of the Statutes.

(3) The Academic Council shall consist of such members, exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

13. Board of Studies :- (1) There shall be such number of Boards of Studies as may be determined by the Statutes.

(2) A Board of Studies shall be constituted in the manner, consist of such members, exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

अध्याय –3

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

10. **प्राधिकरण** – विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात :-

- (क) प्रबन्ध बोर्ड;
- (ख) विद्या परिषद;
- (ग) अध्ययन बोर्ड; और
- (घ) ऐसे अन्य निकाय जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किये जायें।

11. **प्रबन्ध बोर्ड** – (1) कुलपति नियत दिन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध बोर्ड के गठन का आदेश देगा।

(2) बोर्ड में ऐसे सदस्य होंगे, वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायें।

12. **विद्या परिषद** – (1) विश्वविद्यालय की एक विद्या परिषद होगी जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकलाप की प्रभारी होगी और इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अध्यक्षीन, विश्वविद्यालय में शिक्षा और परीक्षाओं के स्तर-मानों तथा शिक्षा और परीक्षाओं के स्तरमानों तथा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित सभी विषयों को पर्यवेक्षित, नियंत्रित और विनियमित करेगी।

(2) विश्वविद्यालय को विद्या-परिषद परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार गठितकी जायेगी।

(3) विद्या परिषद में ऐसे सदस्य होंगे, वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगी जो विहित किये जायें।

13. **अध्ययन बोर्ड** – (1) अध्ययन बोर्ड में इतने सदस्य होंगे जो परिनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

(2) अध्ययन बोर्ड ऐसी रीति से गठित किया जायेगा, उसमें ऐसे सदस्य होंगे, वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विहित किये जायें।

14. Other Authority :- A body declared by the Statutes to be an Authority of the University under clause (d) of section 10 shall be constituted in the manner, consist of such members, exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

15. Dispute relating to appointment as member :- If any dispute arises as to whether any person was duly nominated, elected or appointed to any Authority, the matter may be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

16. Temporary vacancy in an Authority :- Any temporary vacancy, other than that of an ex-officio member, in any Authority shall, as soon as may be, be filled in the same manner as has been prescribed for nomination, election or appointment in the case of a permanent vacancy. The person filling a temporary vacancy shall become a member of such Authority for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

17. Vacancy not to invalidate a proceeding :- No act or proceeding of any Authorities shall be called in question or held to be invalid merely by reason of any vacancy of membership in such Authority.

Chapter – IV

Officers of the University

18. Officers of the University - The following shall be the officers of the University, namely :-

- (1) The Vice-Chancellor
- (2) All Deans;
- (3) The Registrar;
- (4) Comptroller;
- (5) The Controller of Examination;
- (6) The University Librarian; and
- (7) Any other officer declared by the Statutes to be an officer of the University.

14. **अन्य प्राधिकरण** – परिनियमों द्वारा धारा 10 के खण्ड (घ) के अधीन विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में घोषित कोई निकाय ऐसी रीति से गठित किया जायेगा, उसमें ऐसे सदस्य होंगे, वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायें।

15. **सदस्य के रूप में नियुक्ति से संबंधित विवाद** – यदि ऐसा कोई विवाद उठे कि आया कोई भी व्यक्ति किसी भी प्राधिकरण के लिए सम्यक् रूप से नामनिर्देशित, निर्वाचित या नियुक्त किया गया था तो वह मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा, जिनका उस पर किया गया विनिश्चय अन्तिम होगा।

16. **प्राधिकरण में अस्थायी रिक्ति** – किसी भी प्राधिकरण में किसी पदेन सदस्य की रिक्ति से भिन्न कोई भी अस्थायी रिक्ति, यथाशक्य शीघ्र, उसी रीति से भरी जायेगी जो किसी स्थायी रिक्ति के मामले में नामनिर्देशन, निर्वाचन या नियुक्ति के लिए विहित की गयी है। अस्थायी रिक्ति को भरने वाला व्यक्ति उस अवधि के शेष भाग के लिए ऐसे प्राधिकरण का सदस्य होगा जिसके लिए वह व्यक्ति सदस्य होता, जिसका कि स्थान उसने भरा है।

17. **रिक्ति से किसी कार्यवाही का अविधिमान्य न होना** – किसी भी प्राधिकरण के किसी भी कार्य या कार्यवाही की ऐसे प्राधिकरण में सदस्यता की कोई भी रिक्ति होने के कारण—मात्र से ही प्रश्नगत नहीं किया जायेगा या अविधिमान्य नहीं ठहराया जायेगा।

अध्याय – 4

विश्वविद्यालय के अधिकारी

18. **विश्वविद्यालय के अधिकारी** – विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे अर्थात् :-

- (1) कुलपति;
- (2) सभी संकायाध्यक्ष;
- (3) कुलसचिव;
- (4) नियंत्रक;
- (5) परीक्षा नियंत्रक;
- (6) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष; और
- (7) परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में घोषित कोई भी अन्य व्यक्ति।

19. Vice-Chancellor – (1) The Vice Chancellor shall be a whole-time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in such manner for such a period and on such terms and conditions as may be prescribed.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section(1), the first Vice-Chancellor of the University shall be appointed by the Chancellor after consultation with the Government for a period not exceeding three years on such terms and conditions as the Chancellor may determine.

(3) The vice Chancellor shall be the principal academic, administrative and executive officer of the University and shall exercise overall supervision and control over the affairs of the university. He shall have all such powers as may be necessary for true observance of the provisions of this Act and Statutes.

(4) The Vice-Chancellor shall, where immediate action is called for, have power to make an order so as to exercise any power or perform any function which is exercised or performed by any Authority under this Act or the Statutes :

Provided that such action shall be reported to the Authority as would have in the ordinary course dealt with the matter for approval ;

Provided further that if the action so reported is not approved by such Authority not being the Board of Management, the matter shall be referred to the Board of Management, whose decision shall be final and in case of the Authority being the Board of Management the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

(5) The Vice-Chancellor may, on being satisfied that any action taken of order made by any Authority is not in the interest of the University or beyond the powers of such Authority, require the Authority to review its action or order. In case the Authority refuses or fails to review its action or order within sixty days of the date on which the Vice-Chancellor has so required, the matter may be referred to Board of Management or to the Chancellor, as the case may be, for final decision.

20. Other Officers - The officers, other than the Vice-Chancellor, of the university referred to in section 18 shall be appointed in such manner, for such period, on such term and conditions and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

19. कुलपति – (1) कुलपति विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा, और कुलाधिपति के द्वारा ऐसी रीति से, ऐसी कालावधि के लिए और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा जो विहित की जायें।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होने पर भी विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति, कुलाधिपति के द्वारा सरकार के परामर्श से तीन वर्ष से अनधिक की किसी कालावधि के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा, जो कुलाधिपति अवधारित करे।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक, प्रशासनिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलाप का समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा। उसे ऐसी समस्त शक्तियाँ होंगी जो इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के सही-सही अनुपालन के लिए आवश्यक हों।

(4) कुलपति को वहां, जहां तुरन्त कार्यवाही की जानी अपेक्षित हो, ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जिससे ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग या ऐसे किसी भी कृत्य का पालन हो जिसका प्रयोग या पालन किसी भी प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किया जाये :

परन्तु ऐसी कार्यवाही की रिपोर्ट ऐसे प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए की जायेगी जो उस विषय पर सामान्य अनुक्रम में कार्यवाही करता :

परन्तु यह और कि यदि वह कार्यवाही जिसकी कि इस प्रकार रिपोर्ट की गयी है, प्रबन्ध बोर्ड से इतर ऐसे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ने की जाये तो वह विषय प्रबन्ध बोर्ड को निर्देशित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा और प्रबन्ध बोर्ड के ही ऐसा प्राधिकरण होने की दशा में वह विषय कुलाधिपति को निर्देशित किया जायेगा जिनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(5) कुलपति इस बात का समाधान हो जाने पर कि किसी भी प्राधिकरण के द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही या आदेश विश्वविद्यालय के हित में नहीं है या ऐसे प्राधिकरण की शक्तियों के बाहर हैं, प्राधिकरण के हित में नहीं है या ऐसे प्राधिकरण की शक्तियों के बाहर है, प्राधिकरण से उसकी कार्यवाही या आदेश का पुनर्विलोकन करने की अपेक्षा कर सकेगा। जहां प्राधिकरण उस तारीख से, जिसकी कि कुलपति ने ऐसी अपेक्षा की है, साठ दिन के भीतर-भीतर अपनी कार्यवाही या आदेश का पुनर्विलोकन करने से इन्कार कर दे या इसमें असफल रहे वहां वह विषय कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा, जिनका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

20. अन्य अधिकारी – धारा 18 में निर्दिष्ट, विश्वविद्यालय के कुलपति से भिन्न अधिकारी ऐसी रीति से, ऐसी कालावधि के लिए और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर नियुक्त किये जायेंगे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे, जो विहित किये जायें।

Chapter –V

Statutes , Ordinance and Regulation

21. Statutes – (1) The Statutes of the University shall contain such instructions, directions, procedures, details and terms and conditions as per required to be laid down under and in accordance with the provision of this Act.

(2) The statutes as contained in the Schedule to this Act and as amended from time to time shall be binding on all the Authorities, officers, teachers, employees and students of the University and other persons contacted with the affairs of the University.

(3) The Board shall have power to amend, add or delete any Statute contained in the Schedule to his Act.

Provided that the Board shall not amend, add or delete any Statute affecting the constitution, status or power of any Authority without affording to such Authority a reasonable opportunity of making representation on the proposed changes.

(4) Any amendment to the statutes, whether by adding, deleting or in any other manner, shall not take effect unless the Chancellor has after consultation with the Government, assented to it. The Chancellor may, after the said consultation and on being satisfied that assent be not given, withhold assent or return the proposal for amendment to the Board for reconsideration in the light of the observations, if any made by him.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section(3) or sub-section (4), the Chancellor shall have power to amend, after consultation with the Government, whether by adding, deleting or in any other manner, the Statutes contained in the Schedule within a period of one year from the appointed day.

22. Ordinance of the University - (1) The Vice- Chancellor shall have power, at any time after the appointed day, to make with the previous approval of the Government, the first ordinance of the University.

अध्याय – 5

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

21. परिनियम – (1) विश्वविद्यालय के परिनियमों में ऐसे अनुदेश, निदेश, प्रक्रियाएँ, ब्यौरे और निबन्धन तथा शर्तें होंगी जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन और अनुसार की जानी अपेक्षित हों।

(2) इस अधिनियम की अनुसूची में यथाअन्तर्विष्ट और समय-समय पर यथासंशोधित परिनियम विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों, अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारियों तथा छात्रों तथा विश्वविद्यालय के कार्यकलाप से संबंधित अन्य व्यक्तियों पर आबद्धकर होंगे।

(3) बोर्ड को इस अधिनियम की अनुसूची में अन्तर्विष्ट किसी भी परिनियम को संशोधित करने, जोड़ने या हटाने की शक्ति होगी :

परन्तु किसी भी प्राधिकरण के गठन, प्रास्थिति या शक्ति को प्रभावित करने वाले किसी भी परिनियम को, ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में अभ्यावेदन करने का कोई समुचित अवसर दिये बिना संशोधित नहीं करेगा, न उसे परिवर्तित करेगा, न हटायेगा।

(4) परिनियमों में का कोई भी संशोधन, चाहे वह परिनियमों में कुछ जोड़-कर किया जाये या उनमें से कुछ हटाकर या किसी भी अन्य रीति से, तब तक प्रवृत्त नहीं होगा जब तक कि कुलाधिपति राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् उसे अनुमति न दे दें। कुलाधिपति उक्त परामर्श करने के पश्चात् और इस बात का समाधान हो जाने पर कि अनुमति नहीं दी जानी है अपनी अनुमति रोक सकेंगे या संशोधन के प्रस्ताव को स्वयं के द्वारा की गयी समुक्तियों, यदि कोई हो, के परिप्रेक्ष्य में पुनर्विचार के लिए बोर्ड को लौटा सकेंगे।

(5) उपधारा (3) या उपधारा(4) में किसी बात के होने पर भी कुलाधिपति को राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, नियत दिन के एक वर्ष के भीतर अनुसूची में अन्तर्विष्ट परिनियमों को, चाहे परिनियमों में कुछ जोड़करा या उनमें से कुछ हटाकर या किसी भी अन्य रीति से, संशोधित करने की शक्ति होगी।

22. विश्वविद्यालय के अध्यादेश – (1) कुलपति को नियत दिन के पश्चात् किसी भी समय सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश बनाने की शक्ति होगी।

(2) Any amendment to the Ordinance (by adding, deleting or in any other manner) may be made, at any time after the first Ordinance are made under sub-section (1), by the Board in such manner as may be prescribed.

(3) The Ordinance of the University may, subject to the provision of this Act and the Statutes be made for all or any of the following matters, namely: -

- (a) The course of study, admission or enrolment of students, fee, qualification or conditions requisite for any degree, diploma, certificate or fellowship;
- (b) The conduct of examinations including the appointments of examiners and their terms and conditions;
- (c) Management of colleges, institutions, centers or other agencies or bodies run by or admitted to the privilege of the University :
- (d) The conditions for residing in any hostel or other place of residence run or maintained by the University, the levying of charges therefore and other related matters;
- (e) The recognition and supervision of hostels not run or maintained by the University;
- (f) The matter related to emoluments and conditions of service of officers, teachers and employees, their service records, tutorial instructions, allowances including traveling and daily allowances payable to teachers and employees; and
- (g) Any other matter required by the statutes to be dealt by or under the Ordinance of the University.

23. Regulations –(1) An Authority shall have power to make regulations, in the manner as may be prescribed, for the conduct of its affairs and the affairs of any of its committees and for laying down the procedure to be followed at its meetings.

(2) The regulations shall not be contrary to the provisions of this Act, the Statutes or the Ordinance of the University.

(2) अध्यादेशों में कोई भी संशोधन (जोड़कर, हटाकर या किसी भी अन्य रीति से) उपधारा (1) के अधीन प्रथम अध्यादेशों के बनाये जाने के पश्चात् किसी भी समय बोर्ड द्वारा ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, किये जा सकेंगे।

(3) इस अधिनियम और परिनियमों के अध्याधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के अध्यादेश निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी मामलों के लिए बनाये जा सकेंगे अर्थात् :-

- (क) पाठ्यक्रम, छात्रों का प्रवेश या अभ्यावेशन, फीस किसी डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र या अध्येतावृत्ति के लिए अपेक्षित अर्हता या शर्त;
- (ख) परीक्षाओं का संचालन जिसमें परीक्षकों की नियुक्ति और उनके निबन्धन और शर्तें शामिल हैं ;
- (ग) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे या विश्वविद्यालय-जन्य विशेषाधिकारों के लिए अंगीकृत महाविद्यालयों, संस्थाओं, केन्द्रों या अन्य ऐजेन्सियों या निकायों का प्रबन्ध;
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये या संधारित किये जा रहे किसी भी छात्रावास में या निवास के अन्य स्थान में निवास करने और उसके लिए प्रभार उद्गृहित करने के लिए शर्तें और अन्य सम्बन्धित विषय;
- (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाये या संधारित किये जा रहे छात्रावासों की मान्यता और पर्यवेक्षण;
- (च) अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की परिलब्धियों और सेवा की शर्तों, उनके सेवा अभिलेखों, अध्यापन संबंधी अनुदेशों, भत्तों से, जिनमें अध्यापकों और कर्मचारियों को सदेय यात्रा और दैनिक भत्ते सम्मिलित हैं, संबंधित विषय; और
- (छ) विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के द्वारा या अधीन कार्यवाही किये जाने हेतु, परिनियमों द्वारा अपेक्षित कोई भी अन्य विषय।

23. विनियम – (1) किसी प्राधिकरण को अपने कार्यकलाप, और अपनी किसी भी समिति के कार्यकलाप के संचालन के लिए और अपनी बैठकों में अनुसरणीय प्रक्रिया अधिकथित करने के लिए ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, विनियम बनाने की शक्ति होगी।

(2) विनियम इस अधिनियम के, विश्वविद्यालय के परिनियमों या अध्यादेशों के, उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं होंगे।

Chapter –VI

Affiliation, Recognition and Approval

24. Affiliation of Colleges – (1) A College within the University jurisdiction, on satisfying the conditions specified in this section may be affiliated to the University.

(2) A college applying for affiliation to the University shall send application to the Registrar within such time limits as may be specified by the Ordinances of the University with a view to satisfying the University on the following matters, namely :-

- (a) that it will supply a need in the locality, having regard to the type of education intended to be provided by the college, the existing provision for the same type of education made by other colleges in the neighbourhood and the suitability of the locality where the college is to be established.
- (b) that it is to be under the management of a regularly constituted governing body or it is to be maintained by the State Government;
- (c) that the strength and qualification of the teaching staff and the conditions governing their tenure of office are such as to make due provisions for the courses of instruction, teaching or training to be undertaken by the college;
- (d) that the buildings in which the college is to be located are suitable and that provision will be made in conformity with the Ordinances of the university for the residence in the college or in lodgings approved by the college, for students not residing with their parents or guardians and for the supervision and welfare of students;
- (e) that due provision is made for a library;
- (f) that where affiliation is sought in any branch of experimental science, arrangements are made in conformity with the statutes, Ordinances and regulations for imparting instruction in the branch of science in a properly equipped laboratory or museum;

अध्याय – 6

संबद्धता, मान्यता और अनुमोदन

24. महाविद्यालय की संबद्धता – (1) विश्वविद्यालय की अधिकारिता के भीतर के किसी महाविद्यालय को इस धार में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी करने पर, विश्व-विद्यालय से संबद्ध किया जा सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय की संबद्धता के लिए आवेदन करने वाला महाविद्यालय निम्नलिखित विषयों के संबंधन में विश्वविद्यालय को समाधान कराने की दृष्टि से ऐसी समय-सीमाओं के भीतर-भीतर कुल-सचिव को आवेदन भेजेगा जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट की जायें, अर्थात् :-

- (क) कि वह महाविद्यालय द्वारा दी जाने के लिए आशयित शिक्षा की किस्म, आसपास में अन्य महाविद्यालयों द्वारा उसी किस्म की शिक्षा के लिए किए गये उपबन्ध और उस परिक्षेत्र की, जहां महाविद्यालय स्थापित किया जाना है, उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए परिक्षेत्र में आवश्यकता की पूर्ति करेगा;
- (ख) कि वह किसी नियमित रूप से गठित शासकीय निकाय के प्रबंधाधीन होना है या राज्य सरकार द्वारा संधारित किया जाना है;
- (ग) कि अध्यापक वृन्द की संख्या और अर्हताएँ तथा पदावधि को विनियमित करने वाली शर्तें ऐसी हैं जिनमें महाविद्यालय द्वारा हाथ में ली गयी शिक्षा के पाठ्यक्रमों, अध्यापन या प्रशिक्षण के लिए सम्यक् उपबंध किया गया है;
- (घ) कि जिन भवनों में महाविद्यालय स्थापित किया जाना है वे उपयुक्त हैं और यह कि महाविद्यालय में या महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित आवासों में ऐसे छात्रों के लिए जो कि अपने माता-पिता या संरक्षकों के साथ नहीं रह रहे हैं, निवास के लिए और छात्रों के पर्यवेक्षण तथा कल्याण के लिए विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अनुरूप उपबंध किया जायेगा;
- (ङ) कि पुस्तकालय के लिए सम्यक् उपबंध किया गया है;
- (च) कि जहां प्रायोगिक विज्ञान की किसी भी शाखा में सम्बद्धता चाही गयी है वहां सम्यक् रूप से सज्जित प्रयोगशाला या संग्रहालय में विज्ञान की उस शाखा में शिक्षा देने के लिए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अनुरूप व्यवस्थाएँ की गयी हैं;

- (g) that due provision will, as far as circumstances may permit, be made for the residence of the Principal and members of the teaching staff in or near the college or the place provided for the residence of students;
- (h) that the financial resources of the college are such as to make due provision for its continued maintenance and efficient working; and
- (i) that rules fixing the fees to be paid by the students shall be such as are prescribed in the Ordinance of the University.

(3) The application for affiliation shall contain an assurance that after the college is affiliated any change in management or teaching staff and any other change resulting in the requirements mentioned in sub-section (2) not being fulfilled, shall be reported forthwith to the University.

(4) On receipt of the application for affiliation under sub-section(2), the application shall be placed before the Authority specially appointed for the purpose.

(5) The Board shall obtain the recommendation of the Academic Council o the report of the Authority and shall take a final decision.

(6) Where a college desires to add to the course of instruction in respect of which it is not affiliated, the procedure prescribed by sub-section (2) to (5) shall be followed.

(7) An application under sub-section (2) may be withdrawn at any time before an order is finally made under sub-section (5).

25. Withdrawal of Affiliation – (1) The affiliation granted to a College may be withdrawn or modified if the college has failed to comply with any of the provisions of sub-section (2) of section 24 or the College has failed to observe any of the conditions of its affiliation or the College is conducted in a manner which is prejudicial to the interest of education.

(2) The motion for the withdrawal or modification of such affiliation shall be initiated in the Board. Before taking the said motion into consideration, the Board shall send a notice mentioning the grounds of such motion, to the Principal of the College for submitting representation, if any, in writing for consideration within a period specified in the notice.

- (छ) कि जहां तक परिस्थितियां अनुज्ञा देंगी, प्राचार्य और अध्यापकवृन्द के सदस्यों के निवास के लिए महाविद्यालय में या उसके पास अथवा छात्रों के निवास के लिए उपलब्ध कराये गये स्थान में सम्यक् उपबंध किया जायेगा;
- (ज) कि महाविद्यालय के वित्तीय साधन ऐसे हैं कि उनसे उसके निरंतर संधारण और कुशल कार्यकरण के लिए सम्यक् उपबंध हो जाता है; और
- (झ) कि छात्रों द्वारा संदत्त की जाने वाली फीस को नियत करने वाले नियम ऐसे होंगे जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में विहित किये जाये।

(3) सम्बद्धता के आवेदन में इस बात का आश्वासन होगा कि महाविद्यालय के सम्बद्ध हो जाने के पश्चात् प्रबंध में या अध्यापकवृन्द में होने वाले किसी भी परिवर्तन की और किसी भी ऐसे अन्य परिवर्तन की जिसके परिणामस्वरूप उप-धारा (2) में उल्लिखित अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती हो, रिपोर्ट विश्वविद्यालय को तुरंत की जायेगी।

(4) उप-धारा(2) के अधीन सम्बद्धता के लिए आवेदन प्राप्त होने पर उस आवेदन को इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियुक्त प्राधिकरण के समक्ष रखा जायेगा।

(5) बोर्ड, प्राधिकरण की रिपोर्ट पर विद्या परिषद की सिफारिश प्राप्त करेगा और अंतिम विनिश्चय करेगा।

(6) जहां कोई महाविद्यालय शिक्षा के किसी ऐसे पाठ्यक्रम में परिवर्धन करना चाहे जिसके संबंध में वह संबद्ध नहीं है वहां उपधारा (2) से (5) द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

(7) उप-धारा (2) के अधीन कोई आवेदन उप-धारा (5) के अधीन किसी आदेश के अंतिम रूप से किये जाने के पूर्व किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा।

25. सम्बद्धता का वापस लिया जाना – (1) यदि महाविद्यालय धारा 24 की उपधारा (2) के किन्ही भी उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहे या अपनी सम्बद्धता की किन्ही भी शर्तों का पालन करने में असफल रहे अथवा ऐसी रीति से संचालित किया जाये जो शिक्षा के हित के प्रतिकूल हो तो उसे मंजूर की गयी सम्बद्धता वापस ली जा सकेगी या उपान्तरित की जा सकेगी।

(2) ऐसी सम्बद्धता वापस लिये जाने या उपान्तरण के लिए प्रस्ताव बोर्ड में रखा जायेगा। उक्त प्रस्ताव पर विचार किये जाने के पूर्व बोर्ड महाविद्यालय के प्राचार्य को ऐसे प्रस्ताव के आधार पर उल्लिखित करते हुए एक नोटिस, उस नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर विचार करने के लिए लिखित अभ्यावेदन, यदि कोई हो तो, देने के लिए भेजेगा।

(3) On receipt of the representation, if any, the Board may, after considering the notice and representation and after such inspection by any competent person or Authority as may be deemed fit as also after considering the recommendations of the Academic Council thereon, withdraw or modify the privilege of affiliation from the date specified in the order.

26. Recognition of certain institution – Any institution conducting research or specialized studies in the jurisdiction of the University, may be recognized by the University for such purposes and in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

27. Withdrawal of the recognition – The rights conferred on an institution by recognition may be withdrawn or suspended for any period if the institution has failed to observe any of the conditions of its recognition in such manner and for such reasons as may be prescribed.

28. Approval of institution – (1) The Board shall have the power, after consultation with the Academic Council, to approve an institution as an approved institution for specialized studies, laboratory work, internship, research or other academic work under the guidance of a qualified teacher subject to such conditions as may be prescribed.

(2) Subject to the general powers of inspection, supervision and calling the periodical returns, to be exercised by the University in accordance with the Statutes, approved institutions shall enjoy full autonomy in the matter of prescribing their courses of study and curricula, organization of their work and in all other academic and administrative matters.

(3) While granting recognition, the Board shall specify the status of an approved institution as a post-graduate or degree college, as the case may be, and members of the staff of such institution shall then enjoy the same rights and privileges as are allowed under this Act, and the Statutes, Ordinance and Regulation made there under to members of the staff a college of equal status in the University in respect of membership of any authority or body of the University or for appointment as an officer of or an examiner in the University.

(4) The Board shall have power to recognize any degree, diploma or certificate granted by an approved institution as equivalent to a corresponding degree, diploma or certificate of the University. The University shall for this purpose prescribe, by Statutes, the conditions and the manner according to which an approved institution shall hold its examinations.

(3) अभ्यावेदन, यदि कोई हो, प्राप्त हो जाने पर बोर्ड नोटिस और अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् और किसी भी सक्षम व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा ऐसा निरीक्षण करने के पश्चात्, जो उचित समझा जाये और उस पर लिखा परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से सम्बद्धता के विशेषाधिकार वापिस ले सकेगा या उपान्तरित कर सकेगा।

26. कतिपय संस्थाओं की मान्यता – अनुसंधान या विशिष्ट अध्ययन का संचालन कर रही, विश्वविद्यालय की अधिकारिता में स्थिति किसी संस्था को विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे प्रयोजनोंके लिए और ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों के अध्याधीन, जो विहित की जायें, मान्यता दी जा सकेगी।

27. मान्यता का वापस लिया जाना – किसी संस्था को मान्यता द्वारा प्रदत्त अधिकार, यदि वह संस्था अपनी मान्यता की किसी शर्त का पालन करने में असफल रही हो तो, किसी भी कालावधि के लिए, ऐसी रीति और ऐसे कारणों से, जो विहित किये जायें, वापस लिये या निलंबित किये जा सकेंगे।

28. संस्थाओं का अनुमोदन – (1) बोर्ड को विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् किसी संस्था को ऐसी शर्तों के अध्याधीन, जो कि विहित की जाये, किसी अर्हित अध्यापक के मार्गदर्शन में विशिष्ट अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य, इन्टर्नशिप अनुसंधान या अन्य शैक्षणिक कार्य के लिए एक अनुमोदित संस्था के रूप में अनुमोदित करने की शक्ति होगी।

(2) परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली, निरीक्षण, पर्यवेक्षण और सावधिक विवरणियां मांगने की सामान्य शक्तियों के अध्याधीन रहते हुए, अनुमोदित संस्थाएं अपने पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्याएं विहित करने और अपने कार्य को संगठित करने के विषय में और समस्त अन्य शैक्षणिक तथा प्रशासनिक विषयों में पूर्ण स्वायत्तता रखेगी।

(3) मान्यता देते समय, बोर्ड किसी अनुमोदित संस्था की स्नातकोत्तर या यथास्थिति, स्नातक महाविद्यालय के रूप में प्रास्थिति विनिर्दिष्ट करेगा और ऐसी संस्था के कर्मचारी वृन्द के सदस्य वे ही अधिकार और विशेषाधिकार रखेंगे जो इस अधिनियम और परिनियमों, अध्यादेशों और उनके अधीन बनाये गये विनियमों के अधीन, विश्वविद्यालय के समान प्रास्थिति वाले किसी महाविद्यालय के कर्मचारीवृन्द के सदस्यों को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की सदस्यता के सम्बन्ध में या विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनुज्ञात होते हैं।

(4) बोर्ड को, किसी अनुमोदित संस्था द्वारा दी गयी किसी भी उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र को विश्वविद्यालय की किसी समरूपी उपाधि, डिप्लोमे या प्रमाण-पत्र के समकक्ष मान्यता देने की शक्ति होगी। विश्वविद्यालय इस प्रयोजन के लिए परिनियमों द्वारा वे शर्त और रीति विहित करेगा जिसके अनुसार कोई अनुमोदित संस्था अपनी परीक्षाएं आयोजित करेगी।

29. Withdrawal of approval – (1) The rights conferred on an institution by approval may be withdrawn or suspended for any period by the Board if the institution has failed to observe any conditions of its approval or the work assigned to it is conducted in a manner which is prejudicial to the interest of education, or the teacher recognised by the University leaves the institution.

(2) Before making an order under sub-section 91) in respect of any approved institution the Board shall by notice in writing call upon the institution to show cause within one month from the date of the receipt of the notice. Why such an order should not be made. The period so given for showing the cause may, if necessary, be extended by the Board.

(3) On receipt of the explanation, if any, made by the institution in reply to the notice, and where no such reply is received on the expiry of the period referred to in sub-section (2), the Board shall, after consulting the Academic Council and after such enquiry, if any, as may appear to it to be necessary, decide whether the approval should be withdrawn or, as the case may be, suspended and make an order accordingly.

30. Inspection of Colleges and reports – (1) Every college or institution, affiliated, recognised or approved, as the case may be, shall furnish such reports, returns and other information as may be required, to enable the University to judge the efficiency of such college or institution.

(2) The Board shall cause such college or institutions to be inspected from time to time by one or more competent persons authorized in this behalf and a report of the inspection shall be made to the Board.

(3) The board may call upon any such college or institution so inspected to take within a specified period such action as may appear to it to be necessary.

Chapter –VII

Autonomous Colleges, Institutions and University Departments

31. conferment of Autonomous status - (1) An affiliated college or a recognized institution or a University department may be conferred the Autonomous status by the University in the matter of admission of students, prescribing the course of studies, imparting instruction and training, holding of examinations and the powers to make necessary rules for the purpose.

29. अनुमोदन का वापस लिया जाना – (1) अनुमोदन द्वारा किसी संस्था को प्रदत्त अधिकार बोर्ड द्वारा किसी भी कालावधि के लिए तब वापस लिए या निलंबित किये जा सकेंगे यदि वह संस्था अपने अनुमोदन की किन्हीं भी शर्तों का पालन करने में असफल रहे या उसे समनुदेशित कार्य ऐसी रीति से संचालित किया जाये जो शिक्षा की हित के प्रतिकूल हो या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य अध्यापक संस्था को छोड़ दें।

(2) किसी भी अनुमोदित संस्था के सम्बन्ध में उप-धारा(1) के अधीन कोई आदेश करने के पूर्व बोर्ड उस संस्था से लिखित नोटिस द्वारा उसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर-भीतर इस बात का हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा कोई आदेश क्यों नहीं कर दिया जाये। यदि आवश्यक हो तो हेतुक दर्शित करने के लिए इस प्रकार दी गई कालावधि बोर्ड द्वारा बढ़ाई जा सकेगी।

(3) नोटिस के उत्तर में संस्था द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, के प्राप्त होने पर और जहां ऐसा कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हो वहां उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर बोर्ड विद्या परिषद से परामर्श करने के पश्चात् और ऐसी जांच यदि कोई हो, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् यह विनिश्चित करेगा कि अनुमोदन वापस लिया जाये या यथास्थिति, निलंबित कर दिया जाये और तदनुसार ही कोई आदेश करेगा।

30. महाविद्यालयों का निरीक्षण और रिपोर्ट – (1) प्रत्येक संबद्ध मान्यता प्राप्त या, यथास्थिति, अनुमोदित महाविद्यालय या संस्था विश्वविद्यालय को ऐसे महाविद्यालय या संस्था की कुशलता निर्णयन कर पाने के लिए ऐसी रिपोर्ट विवरणियाँ और अन्य सूचना देगी जो अपेक्षित की जाये।

(2) बोर्ड ऐसे महाविद्यालय या संस्था का निरीक्षण इस निमित्त प्राधिकृत एक या अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर करा सकेगा और निरीक्षण की रिपोर्ट बोर्ड को दी जायेगी।

(3) बोर्ड इस प्रकार निरीक्षित ऐसे किसी भी महाविद्यालय या संस्था से किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर ऐसी कार्यवाही करने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

अध्याय – 7

स्वायत्त महाविद्यालय, संस्थाएँ और विश्वविद्यालय विभाग

31. स्वायत्त प्रास्थिति का प्रदत्त किया जाना – (1) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था अथवा किसी विश्वविद्यालय विभाग को विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के प्रवेश, पाठ्यक्रम विहित करने, शिक्षा और प्रशिक्षण देने, परीक्षाएं आयोजित करने और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक नियम बनाने की शक्तियों के विषय में स्वायत्त प्रास्थिति प्रदत्त की जा सकेगी।

(2) The Board shall for the purpose of satisfying itself about the standards of education in such a college institution or department, may direct an enquiry to be made by a standing committee in such manner as may be prescribed.

(3) On receipt of the report of the said committee and the recommendation of the Academic Council thereon the Board, on being satisfied, shall refer the matter to the University Grants Commission and the State Government to obtain their concurrence.

(4) On receipt of such concurrence, the University shall confer the autonomous status on the College, the Institution or the department, as the case may be.

(5) The status of autonomy may be granted initially for a period of five years subject to review by an expert committee to be constituted for this purpose. The committee shall comprise the following, namely :-

(b) One nominee of the University;

(c) One nominee of the State Government;

(d) One nominee of the University Grants Commission;

(e) One Principal of an autonomous college to be nominated by the Vice-Chancellor; and

(f) an officer of the University

(6) The committee shall submit its report to the Board for further action.

(7) The University shall continue to exercise general supervision over such college institution or department and to confer degrees on the students of such college, institution or department.

(8) The autonomous college, institution or department shall appoint such committees as may be prescribed for the proper management relating to academic, financial and administrative affairs,

(9) Every autonomous college institution or department shall furnish such reports returns and other informations as the Board may require from time to time to judge efficiency

(10) The Board shall cause every autonomous College, institution or department to be inspected from time to time

(2) बोर्ड ऐसे किसी महाविद्यालय, संस्था या विभाग में शिक्षा के स्तरमानों के विषय में स्वयं के समाधान के प्रयोजनार्थ किसी स्थाई समिति द्वारा ऐसी रीति से कोई जांच करने के निर्देश दे सकेगा जो विहित की जाये।

(3) उक्त समिति की रिपोर्ट और उस पर विद्या परिषद की सिफारिश प्राप्त होने पर बोर्ड अपना समाधान होने पर वह विषय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार को उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए निर्देशित करेगा।

(4) ऐसी सहमति प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय, उस महाविद्यालय, संस्था या यथास्थिति, विभाग को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदत्त करेगा।

(5) स्वायत्तता की प्रास्थिति; इस प्रयोजन के लिए गठित की जाने वाली किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनर्विलोकन किये जाने के अध्यक्षीन रहते हुए प्रारम्भ में पाँच वर्ष की कालावधि के लिए मंजूर की जा सकेगी। समिति में निम्नलिखित होंगें, अर्थात्:-

- (क) विश्वविद्यालय का एक नाम निर्देशिती;
- (ख) राज्य सरकार का एक नाम निर्देशिती;
- (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नाम निर्देशिती;
- (घ) कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला किसी स्वायत्त महाविद्यालय का एक प्राचार्य; और
- (ङ) विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी।

(6) समिति अपनी रिपोर्ट आगे की कार्यवाही के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।

(7) विश्वविद्यालय ऐसे महाविद्यालय, संस्था या विभाग या सामान्य पर्यवेक्षण करता रहेगा और ऐसे महाविद्यालय, संस्था या विभाग के छात्रों को उपाधियां प्रदत्त करता रहेगा।

(8) स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या विभाग ऐसी समितियां नियुक्त करेगा जो शैक्षणिक, वित्तीय और प्रशासनिक कार्यकलाप से सम्बन्धित समुचित प्रबन्ध के लिए विहित की जाये।

(9) प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या विभाग ऐसी रिपोर्टें, विवरणियां और अन्य सूचनाएँ देगा जिनकी अपेक्षा बोर्ड कुशलता के निर्णयन के लिए समय-समय पर करे।

(10) बोर्ड प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या विभाग का समय-समय पर निरीक्षण करायेगा।

32. Withdrawal of autonomous status – (1) The conferment of autonomous status may be withdrawn by the University if the College institution or department has failed to observe any condition of its conferment or the efficiency thereof has so deteriorated that in the interest of education it is necessary to do so.

(2) Before an order under sub-section (1) is made, the Board shall, by one month's notice in writing, call upon the College, institution or department to show cause why such an order should not be made.

(3) On receipt of the explanation, if any, made by the College, institution or department in reply to the notice, the Board shall, after consulting the Academic Council and the University Grants Commission report the matter to the state Government.

(4) The State Government shall, after such further enquiry if any, as may be deemed fit, record its opinion in the matter and convey its decision to the University and the University shall thereupon make such order as it deems fit.

(5) Where in the case of an autonomous College, institution or department, the autonomous status conferred under section 31 is withdrawn by an order made under sub-section (4), such college, institution or department, as the case may be, shall cease to have an autonomous status from the date specified in the order.

Chapter –VIII

Appointments, Funds and Accounts

33. Appointments – (1) A person may be appointed as a teacher or an employee of the University by a contract writing which shall not contain any condition contrary to any provision of this Act or the Statutes.

(2) All appointment shall generally be governed by the statutes and shall be made by an officer and in the manner as may be prescribed.

(3) The original contract shall be kept on the record of the University and a copy thereof shall be given to the person employed.

32. स्वायत्त प्रास्थिति का वापस लिया जाना – (1) स्वायत्त प्रास्थिति का प्रदान विश्वविद्यालय द्वारा तब वापस लिया जा सकेगा यदि महाविद्यालय, संस्था या विभाग उसके प्रदान की किसी भी शर्त का पालन करने में असफल रहे या उसकी कुशलता का इतना क्षय हो गया हो कि शिक्षा के हित में ऐसा करना आवश्यक हो जाये।

(2) उप-धारा(1) के अधीन कोई आदेश करने के पूर्व बोर्ड एक मास के लिखित नोटिस द्वारा महाविद्यालय, संस्था या विभाग से इस बात का हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा कोई आदेश क्यों नहीं कर दिया जाये।

(3) नोटिस के उत्तर में महाविद्यालय, संस्था या विभाग द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, प्राप्त होने पर बोर्ड विद्या परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करने के पश्चात् वह विषय राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा।

(4) राज्य सरकार ऐसी और जांच, यदि कोई हो, जो ठीक समझी जाये, करने के पश्चात् उक्त विषय में अपनी राय अभिलिखित करेगी और अपना विनिश्चय विश्वविद्यालय को सूचित करेगी और तब विश्वविद्यालय ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे।

(5) जहां किसी स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या विभाग के मामले में, धारा 31 के अधीन प्रदत्त स्वायत्त प्रास्थिति उप-धारा(4) के अधीन किये गये किसी आदेश द्वारा वापस ले ली जाये, वहां ऐसा महाविद्यालय, संस्था या, यथास्थिति, विभाग आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से कोई स्वायत्त प्रास्थिति नहीं रखेगा।

अध्याय – 8

नियुक्तियां, निधियां और लेखे

33. नियुक्तियां – (1) किसी व्यक्ति को किसी लिखित संविदा द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, जिसमें इस अधिनियम या परिनियमों के किसी भी उपबन्ध के प्रतिकूल कोई भी शर्त नहीं होगी।

(2) सभी नियुक्तियां सामान्यतः परिनियमों से शासित होंगी और ऐसे अधिकारी के द्वारा तथा ऐसी रीति से की जायेंगी, जो विहित की जाये।

(3) मूल संविदा विश्वविद्यालय के अभिलेख में रखी जायेगी और उसकी प्रति नियोजित व्यक्ति को दी जायेगी।

34. Provident fund and Pension Fund : - (1) The University shall, for the benefit of its officers, teachers and employees, create provident fund or pension fund or formulate an insurance scheme in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

(2) The provision of the Provident Funds Act, 1925 (Central Act 19 of 1925) shall apply to a fund or an insurance scheme as if it were a government fund or scheme and the University shall contribute to or invest in such fund or scheme.

(3) Where a person in government employment is transferred on deputation or otherwise to the University, the terms and conditions relating to the fund and the scheme referred to in sub-section (1) shall be such as may be agreed to between the Government and the University.

35. University Funds – (1) There shall be a general Fund of the University to which all such incomes, fees and other receipts shall be credited under appropriate heads as may be prescribed.

(2) The money received as contribution, aid or grant from the central Government or the State Government or any other money received from any one else; as may be directed by the Board shall be credited to the Foundation Fund of the University.

(3) The Whole or part of the money deposited in the Foundation Fund of the University may be spent in such manner and for such purposes as may be prescribed or invested in such securities as are specified in section 20 of the Indian Trust Act, 1882 (Central Act 2 of 1882).

(4) Such statement, account, report or other particulars relating to the utilization of any grant, aid or contribution given or made by the Central Government or the State Government shall be furnished to the said government as may be required from time to time.

(5) The General Fund, the Foundation Fund and other funds of the University shall be kept, managed and dealt with in accordance with the Provisions of the Statutes as may be made from time to time.

34. भविष्य निधि और पेंशन निधि – (1) विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों के फायदे के लिए भविष्य निधि या पेंशन निधि सृजित करेगा या ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन एक बीमा स्कीम बनायेगा, जो विहित की जायें।

(2) भविष्य निधि अधिनियम 1925, (1925 का केन्द्रिय अधिनियम 19) के उपबन्ध किसी निधि या किसी बीमा स्कीम पर ऐसे लागू होंगे मानो वह कोई सरकारी निधि या स्कीम हो और विश्वविद्यालय ऐसी निधि या स्कीम में अभिदाय या विनिधान करेगा।

(3) जहां सरकारी नियोजन में का कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्त पर या अन्यथा स्थानान्तरित किया जाये वहा उप-धारा (1) में निर्दिष्ट निधि और स्कीम से संबंधित निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जिन पर सरकार और विश्वविद्यालय के बीच सहमति हो।

35. विश्वविद्यालय निधियां – (1) विश्वविद्यालय की एक सामान्य निधि होगी जिनमें ऐसी समस्त आयें, फीसें और अन्य प्राप्तियां समुचित शीर्षों के अधीन जमा की जायेंगी, जो विहित की जायें।

(2) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अभिदाय, सहायता या अनुदान के रूप में धन या किसी भी अन्य से प्राप्त कोई भी ऐसा अन्य धन, जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट हो विश्वविद्यालय की आधार निधि में जमा कराया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय की आधार निधि में जमा कराया गया संपूर्ण धन या उसका भाग ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए, जो कि विहित किये जायें, खर्च किया जायेगा, या ऐसी प्रतिभूतियों में विनिहित किया जायेगा, जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रिय अधिनियम 2) की धारा 20 में विनिर्दिष्ट है।

(4) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिये या किये गये किसी भी अनुदान, सहायता या अभिदाय के उपयोग से संबंधित ऐसे विवरण, लेखे प्रतिवेदन या अन्य विशिष्टियां उक्त सरकार को दी जायेंगी, जो समय-समय पर अपेक्षित हों।

(5) विश्वविद्यालय की सामान्य निधि, आधार निधि और अन्य निधियां परिनियमों के ऐसे उपबन्धों के अनुसार रखी, प्रतिबन्धित की और व्यवहृत की जायेंगी, जो समय-समय पर बनाये जाये।

36. Accounts and Audit – (1) The accounts including the annual accounts of the University shall be prepared under the supervision and direction of the Comptroller.

(2) All the moneys accruing to or received by the University from whatever source and all amounts disbursed or paid shall be duly and correctly entered in the accounts of the University.

(3) The annual accounts including the balance sheet shall be audited by the auditor as may be appointed by the State Government. The Cost of audit shall be paid by the University. The copies of the annual accounts and the audit report shall be presented to the Board, the Chancellor and the State Government.

37. Finance Committee – (1) There shall be a Finance Committee to be constituted by the Vice-Chancellor consisting of the Vice-Chancellor as its Chairman, a nominee of the State Government, the Comptroller and a nominee of the Board. The comptroller shall also act as the secretary to the said committee.

(2) The Finance Committee shall –

- (a) Examine the annual accounts and budget estimates and advise the Board thereon
- (b) Review the financial position of the University from time to time and advise the board; and
- (c) make recommendations to the Board on any matter of finance or any proposal involving excess expenditure.

Chapter –IX

Miscellaneous

38. Annual Reports – (1) An annual report of the University shall be prepared by the Registrar under the direction of the Vice-Chancellor.

(2) The Annual Report shall, among other things set out the actions taken for the fulfillment of the objects of the University.

(3) The annual report shall be circulate among the members of the Board one month before its annual meeting at which it is to be considered.

(4) The Board shall, after considering the annual report, forward it with such comments, as may be deemed necessary, to the State Government. A copy of the said report shall be laid on the table of the House of State Legislature.

36. लेखे और संपरीक्षा – (1) विश्वविद्यालय के लेखे, जिनमें उसके वार्षिक लेखे सम्मिलित हैं, नियंत्रक के पर्यवेक्षण और निर्देश के अधीन तैयार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय को स्रोत से प्रोदभूत होने वाले या प्राप्त हुए सभी धन और संवितरित या संदत्त सभी रकमें विश्वविद्यालय के लेखों में सम्यक् रूप से और सही-सही तौर पर प्रविष्ट की जायेंगी।

(3) वार्षिक लेखे, जिनमें तुलनपत्र सम्मिलित हैं, ऐसे संपरीक्षक के द्वारा संपरीक्षित किये जायेंगे, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाये। संपरीक्षा का खर्चा विश्वविद्यालय द्वारा संदत्त किया जायेगा। वार्षिक लेखों और संपरीक्षा प्रतिवेदन की प्रतियां बोर्ड, कुलाधिपति और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी।

37. वित्त समिति – (1) एक वित्त समिति होगी, जो कुलपति के द्वारा गठित की जायेगी, जिसमें अध्यक्ष के रूप में कुलपति होगा, राज्य सरकार का एक नामनिर्देशिती, नियंत्रक और बोर्ड का एक नामनिर्देशिती होगा। नियंत्रक उक्त समिति के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा।

(2) वित्त समिति –

- (क) वार्षिक लेखों और बजट प्राक्कलनों की परीक्षा करेगी और उनके संबंध में बोर्ड को परामर्श देगी;
- (ख) समय-समय पर विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगी और बोर्ड को परामर्श देगी; और
- (ग) वित्त के किसी भी विषय या अधिक्यगत व्यय अन्तर्बलित करने वाले किसी भी प्रस्ताव के संबंध में बोर्ड को सिफारिश करेगी।

अध्याय – 9

प्रकीर्ण

38. वार्षिक प्रतिवेदन – (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कुलसचिव द्वारा कुलपति के निदेशाधीन तैयार किया जायेगा।

(2) वार्षिक प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गयी कार्यवाहियां उपवर्णित की जायेंगी।

(3) वार्षिक प्रतिवेदन बोर्ड के सदस्यों के बीच उसकी उस वार्षिक बैठक के एक मास पूर्व परिचालित किया जायेगा जिसमें उस पर विचार किया जाना है।

(4) बोर्ड वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उसे ऐसी टिप्पणियों के साथ राज्य सरकार को भेजेगा जो आवश्यक समझी जायें। उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य विधान-मण्डल के सदन के पटल पर रखी जायेगी।

39. Temporary Arrangements – (1) At any time after the appointed day until such time as an Authority is duly constituted, The Vice-Chancellor may with the prior approval of the Chancellor, appoint an officer of the University to exercise the powers and perform the functions of such Authority.

(2) The Vice-Chancellor may make, subject to the approval by the Board, any temporary appointment in the vacancy of any officer, teacher or employee until such time as a regular appointment is made in accordance with the provisions of this Act and the Statutes.

(3) Notwithstanding anything contained in any provision of this Act and the Statutes, the State Government may make an order for the appointment, on deputation or otherwise, of any government employee to any post of an officer or employee of the University for such period and on such terms and conditions as it may be determine.

40. Transfer of persons and properties from other Universities – The Chancellor may, in consultation with the Government, on the appointed day or at any time thereafter, make such orders, as are deemed necessary, for the transfer of –

- (a) Any officer, teacher, employee or servant, or
- (b) any movable or immovable property or any rights or interests therein.
- (c) any fund, grant contribution donation, and or benefaction received, accrued or promised,
- (d) Any dues, liabilities or obligations incurred or lawfully subsisting in favour of or against the University.
- (e) any will, deed or other document containing any bequest, gift or trust –

from any other University of which he is the Chancellor to the University constituted under this Act on such terms and conditions as may be determined in the order.

39. अस्थायी व्यवस्थाएँ – (1) नियत दिन के पश्चात् किसी भी समय और उस समय तक जब तक कोई प्राधिकरण सम्यक् रूप से गठित न हो जाये, कुलपति, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को ऐसे प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

(2) कुलपति, बोर्ड के अनुमोदन के अध्यक्षीन, किसी भी अधिकारी, अध्यापक या कर्मचारी की रिक्ति पर उस समय तक के लिए कोई अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा, जब तक इस अधिनियम और परिनिमों के उपबन्धों के अनुसार नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती।

(3) इस अधिनियम और परिनिमों के किसी भी उपबन्ध में किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार किसी भी सरकारी कर्मचारी की, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के किसी भी पद पर ऐसी कालावधि के लिए और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जो वह अवधारित करे, प्रतिनियुक्ति पर या अन्यथा, नियुक्ति के लिए आदेश कर सकेगी।

40. अन्य विश्वविद्यालयों से व्यक्तियों और सम्पत्तियों के अन्तरण – कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, नियत दिन को या उसके पश्चात् किसी भी समय—

- (क) किसी भी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी या सेवक के, या
- (ख) किसी भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति या उसमें के किन्हीं भी अधिकारों या हितों के,
- (ग) प्राप्त, प्रोदभूत या वचनबद्ध किसी भी निधि, अनुदान, अभिदाय, दाना, सहायता या उपकृति के,
- (घ) विश्वविद्यालय के पक्ष में विरुद्ध उपगत अथवा विधिपूर्वक अस्तित्वयुक्त किन्हीं देयों, दायित्वों या बाध्यताओं के,
- (ङ) कोई भी वसीयत, दान या न्यास अन्तर्विष्ट करने वाले किसी भी वसीयतनामं विलेख या अन्य दस्तावेज के,

ऐसे किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से, जिसके कि वे कुलाधिपति हैं, इस अधिनियम के अधीन गठित विश्वविद्यालय के अन्तरण के लिए ऐसे आदेश, जो आवश्यक समझे जायें, ऐसे निबन्धों और शर्तों पर जो उस आदेश में अवधारित की जायें, कर सकेंगे।

41. Transfer of colleges and institutions – (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the colleges, institutions, hostels offices and any other body or agency, as may be specified by notification in the official Gazette on the appointed day or at any time thereafter, may be dis-affiliated or, as the case may be, transferred by the Government from any other University constituted under this Act on such terms and conditions as may be determined by the Government.

(2) The control and management of any college, institution, center or any other body or agency affiliated or transferred under sub-section(1) shall stand vested in the University from the date of the publication of the notification under sub-section (1).

(3) The Students of the college or institution or the persons engaged in any other body so affiliated or transferred to the University shall be permitted to complete their course, research or programme and the University shall make arrangements therefore.

(4) A person employed as a teacher or an employee in any college, institution or any other body or agency referred to in sub-section (1) shall, from the date of notification issued under the said sub-section, be deemed to have become the teacher or, as the case may be, the employee of the University on the same terms and conditions.

42. Residuary power of the Board - The Board shall have power to deal with any matter pertaining to the University and not specially assigned to the Board under this Act.

43. Power to remove difficulties - Where any difficulty arises in giving effect to any provision of this aAct, the State Government may, by notification in the Official Gazette, make such order as appears to be necessary or expedient and as is not contrary to any provision of this Act :

Provided that no such order shall be made after the expiry of three years from the appointed day.

44. Repeal and Savings – (1) The University of Ajmer Ordinance 1987 (Ordinance No. 14 of 1987) is hereby repealed.

(2) notwithstanding such repeal all things done, actions taken or orders made under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.

41. महाविद्यालयों और संस्थाओं का अन्तरण – (1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में किसी बात के होने पर भी, ऐसे महाविद्यालय, संस्थाएं, छात्रावास, कार्यालय और कोई भी ऐसा अन्य निकाय या एजेन्सी, जो राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, नियत दिन को या उसके पश्चात् किसी भी समय सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो कि सरकार द्वारा अवधारित की जायें, राज्य के किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से विसंबद्ध या, यथास्थिति, अन्तरित की जा सकेगी और इस अधिनियम के अधीन गठित विश्वविद्यालय से संबद्ध की जा सकेगी या उसे अन्तरित अथवा उसमें निहित की जा सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन संबद्ध या अन्तरित किसी भी महाविद्यालय, संस्था, केन्द्र या किसी भी अन्य निकाय अथवा एजेन्सी का नियंत्रण या प्रबन्ध उप-धारा(1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय में निहित हो जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय से इस प्रकार संबद्ध या उसे अन्तरित महाविद्यालय या संस्था के छात्रों या किसी भी अन्य निकाय में लगे हुए व्यक्तियों को अपना पाठ्यक्रम, अनुसंधान या कार्यक्रम पूरा करने दिया जायेगा और विश्वविद्यालय उसके लिए व्यवस्थाएं करेगा।

(4) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी महाविद्यालय, संस्था या किसी भी अन्य निकाय अथवा एजेन्सी में अध्यापक या कर्मचारी के रूप में नियोजित कोई व्यक्ति उक्त उप-धारा के अधीन जारी की गयी अधिसूचना की तारीख से उन्ही निबन्धनों और शर्तों पर विश्वविद्यालय का अध्यापक या, यथास्थिति कर्मचारी हो गया समझा जायेगा।

42. बोर्ड की अवशिष्टीय शक्ति – बोर्ड को विश्वविद्यालय से संबंधित और इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को विनिर्दिष्टतः समनुदेशित नहीं किये गये किसी भी विषय के संबंध में कार्यवाही करने की शक्ति होगी।

43. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति – जहां इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध को प्रभावी करने में कोई भी कठिनाई उद्भूत हो वहां राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा आदेश कर सकेगी जो आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो और जो इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के प्रतिकूल न हो :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश नियत दिन से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

44. निरसन और व्यावृत्तियां – (1) अजमेर विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1987 (1987 का अध्यादेश सं. 14) इसकेद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी सभी बातें, कार्यवाहियां या आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

SCHEDULE

(See Section 21)

Statutes of the University

1. Vice-Chancellor – (1) The vice Chancellor shall be a whole time officer of the University and shall be appointed by the Chancellor on the advice of the Government upon the recommendation of a Selection Committee consisting of three members as under :-

- (a) One person nominated by the board not connected with the University or any college thereof;
- (b) One educationist nominated by the chancellor; and
- (c) One person nominated by the University Grants Commission.

(2) One of the person nominated under clause (1) shall be appointed by the Chancellor to be the Chairman of the Committee.

(3) The term of office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier :

Provided that the Chancellor may require the Vice-Chancellor whose term is expiring to continue in office for such period, not exceeding one year, as may be specified by the Chancellor :

Provided further that a person shall be eligible for appointment as the Vice-Chancellor for the second term.

(4) Where a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his death, resignation, removal or expiry of the terms or on any other ground, it shall be filled by the Chancellor in the manner specified in clause (1) and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement may be made by the Chancellor under and in accordance with Clause (5).

(5) In the case of a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under clause (4), the Chancellor may, on the advice of the Government, make such arrangements for carrying on the functions of the Vice-Chancellor as he deems fit.

(6) The Vice-Chancellor may relinquish his office by submitting, not less than Sixty days in advance of the date on which he intends to be relieved, his resignation to the Chancellor.

अनुसूची

{ धारा 21 देखिये }

विश्वविद्यालय के परिनियम

1. **कुलपति** – (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से, निम्नलिखित तीन सदस्यों की एक चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जायेगा :-

- (क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या उसके किसी भी महाविद्यालय से सम्बन्धित न हो;
- (ख) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक शिक्षाविद्; और
- (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति।

(2) खण्ड (1) के अधीन नामनिर्देशित व्यक्तियों में से एक को कुलाधिपति द्वारा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जायेगा।

(3) कुलपति की पदावधि उस तारीख से तीन वर्ष की होगी जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है या सैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, जो भी पहले हो जाये :

परन्तु कुलाधिपति, कुलपति से जिसकी कि अवधि समाप्त हो रही है, एक वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेंगे जो कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये :

परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए कुलपति के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा।

(4) जहां कुलपति का पद उसकी मृत्यु, पदत्याग, हटाये जाने या अवधि की समाप्ति के कारण अथवा किसी भी अन्य आधार पर स्थायी रूप से रिक्त हो जाये वहां वह कुलाधिपति द्वारा खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट रीति से भरा जायेगा और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरा जाता तब तक के लिए कुलाधिपति द्वारा खण्ड (5) के अधीन और अनुसार अस्थायी व्यवस्थाकी जा सकेगी।

(5) छुट्टी या निलम्बन के कारण या अन्यथा कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति होने की दशा में या तब तक जब कोई अस्थायी व्यवस्था करना खण्ड (4) के अधीन आवश्यक हो जाये, कुलाधिपति, कुलपति के कृत्यों का क्रियान्वयन करने के लिए सरकार के परामर्श से ऐसा प्रबन्ध कर सकेंगे जो वे ठीक समझें।

(6) कुलपति उस तारीख से, जिसको कि वह कार्यमुक्त होने का आशय रखता हो, साठ से अन्यून दिन पहले कुलाधिपति को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करके अपने पद का त्याग कर सकेगा।

(7) The emoluments and other conditions of Service of the Vice-Chancellor shall be as follows :-

- (a) Salary Rs. 3,000/- per month;
- (b) free furnished official residence;
- (c) all such allowances as are admissible to a Professor of the university for other than teaching purposes; and
- (d) Such terminal benefits and allowances as are sectioned or granted from time to time by the Board with the approval of the Chancellor or under the Ordinances of the University.

(8) The official residence of the Vice-Chancellor shall be maintained from the funds of the University.

(9) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he may continue to contribute to the Provident fund of which he was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.

(10) where the Vice-Chancellor had been in his previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make necessary contribution to such scheme.

(11) The Vice-Chancellor shall be entitled to traveling and daily allowances at such rates may be fixed by the Board.

(12) The Vice-Chancellor shall be entitled to the leave as under :-

- (a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and
- (b) leave on half pay at the rate of twenty days for each complete year of service.

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.

(13) Vice-Chancellor shall, in addition to the powers conferred on him and the functions assigned to him under the Act, also have the powers to perform the functions as under :-

- (a) to exercise control over the affairs of the University;
- (b) to give effect to the decision taken by any Authority of the University;
- (c) to exercise all the powers to maintain discipline in the university;

- (7) कुलपति की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित होंगी :-
- (क) वेतन 3000/- रु. प्रतिमास;
- (ख) निःशुल्क सुसज्जित शासकीय निवास;
- (ग) समस्त ऐसे भत्ते जो विश्वविद्यालय के आचार्य को अध्यापन से इतर प्रयोजनों के लिए अनुज्ञेय हैं; और
- (घ) ऐसी सेवान्त प्रसुविधाएं और भत्ते जो कुलाधिपति के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा या विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अधीन समय-समय पर मंजूर या प्रदान किये जाये।

(8) कुलपति के शासकीय निवास का संधारण विश्वविद्यालय की निधियों में से किया जायेगा।

(9) जहां कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति; ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था वहां वह उस भविष्य निधि में, जिसका कि वह ऐसे नियोजन में सदस्य था, अभिदान करना जारी रख सकेगा और विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्ति के उस भविष्य निधि खाते में अभिदाय करेगा।

(10) जहां कुलपति अपने पूर्व नियोजन में किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अभिदाय करेगा।

(11) कुलपति ऐसी दरों पर यात्रा तथा दैनिक भत्तों का हकदार होगा जो बोर्ड द्वारा नियत की जाये।

(12) कुलपति को छुट्टी का हक निम्नलिखित रूप से प्रोदभूत होगा :-

- (क) सक्रिय सेवा के प्रत्येक ग्यारह दिन के लिए एक दिन की दर से पूर्ण वेतन छुट्टी; और
- (ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिन की दर से अर्ध-वेतन छुट्टी।

परन्तु अर्ध-वेतन छुट्टी चिकित्सा प्रमाण-पत्र पेश कर दिये जाने पर पूर्ण वेतन छुट्टी में परिवर्तित की जा सकेगी।

(13) कुलपति की, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों और उसे समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां भी प्राप्त होंगी और वह निम्नलिखित कृत्यों का भी पालन करेगा :-

- (क) विश्वविद्यालय के कार्यकलाप पर नियंत्रण रखना;
- (ख) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण के द्वारा किए गए विनिश्चयों को प्रभावी करना;
- (ग) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए समस्त शक्तियों का प्रयोग करना;

- (d) to convene the meetings of the Board and the Academic Council and to present any matter for deliberations and consideration;
- (e) to ensure due observance of the provisions of the Act and the Statutes and to exercise all the powers necessary for the purpose;
- (f) to take any action in any emergency when immediate action is called for and to report to such officer or the Authority about the action so taken who or which would have in the ordinary course dealt with the matter;
- (g) to maintain close co-ordinate and integration in various branches such as teaching, research and extension;
- (h) to appoint teachers and employees or to authorise any officer to make appointment to any post or category of posts; and
- (i) to take disciplinary action against any teacher or employee or to authorise any officer to take such action,

2. Deans of Colleges, faculties and Post-Graduate Studies:-

(1) There shall be a Dean of Colleges, a Dean of Postgraduate studies and a Dean for each faculty.

(2) A Dean shall be appointed by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Academic Council subject to the approval of the Board.

(3) A Dean shall receive such salary and allowances and his other conditions of service shall be such as may be specified in the Ordinance of the University.

(4) The Dean of a faculty shall be the Chairman of the Board of Studies of his faculty and shall be responsible to the Vice-Chancellor for observance of the Statutes and regulations relating to the faculty and for conducting and organizing teaching, training, research etc.

(5) The Dean of colleges shall be responsible to the Vice-Chancellor for the observance of Statutes and Regulations relating to colleges and for co-ordinate amongst various colleges for conducting and organizing training, research, etc.

(6) The Dean of colleges shall co-ordinate activities in various colleges and the Dean of a faculty shall likewise co-ordinate activities in various departments and sections of his faculty.

- (घ) बोर्ड और विद्या-परिषद की बैठके बुलाना और विचार विमर्श तथा विचार के लिए कोई भी विषय प्रस्तुत करना;
- (ङ) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करना और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समस्त शक्तियों का प्रयोग करना;
- (च) किसी आपात-स्थिति में जब तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित हो तब कोई कार्यवाही करना और इस प्रकार की गयी कार्यवाही के बारे में ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को रिपोर्ट करना जिसने सामान्य अनुक्रम में उस विषय में कार्यवाही की होती;
- (छ) विभिन्न शाखाओं जैसे अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार के बची निकट का समन्वय और एकीकरण बनाये रखना;
- (ज) अध्यक्षों और कर्मचारीयों को नियुक्त करना या किसी भी पद अथवा पदों के प्रवर्ग के लिए नियुक्ति करने हेतु किसी भी अधिकारी को प्राधिकृत करना; और
- (झ) किसी भी अध्यापक या कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना या ऐसी कार्यवाही करने के लिए किसी भी अधिकारी को प्राधिकृत करना।

2. महाविद्यालयों, संकायों और स्नातकोत्तर अध्ययन के संकायाध्यक्ष – (1) एक संकायाध्यक्ष महाविद्यालयों के लिए, एक स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए और एक एक प्रत्येक संकाय के लिए होगा।

(2) संकायाध्यक्ष कुलपति द्वारा बोर्ड के अनुमोदन के अध्यक्षीन रहते हुए विद्या-परिषद की सिफारिश पर नियुक्त किया जायेगा।

(3) संकायाध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा और उसकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट की जायें।

(4) संकाय का अध्यक्ष अपने संकाय के अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष होगा और संकाय से संबंधित परिनियमों और विनियमों का पालन और अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान इत्यादि के संचालन और आयोजन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(5) महाविद्यालयों का संकायाध्यक्ष, महाविद्यालयों से संबंधित परिनियमों और विनियमों के पालन के लिए और प्रशिक्षण, अनुसंधान इत्यादि के संचालन और आयोजन के लिए विभिन्न महाविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(6) महाविद्यालयों का संकायाध्यक्ष विभिन्न महाविद्यालयों में क्रिया कलाप का समन्वय करेगा और इसी तरह संकाय का अध्यक्ष अपने संकाय के विभिन्न विभागों और अनुभागों में क्रियाकलाप का समन्वय करेगा।

(7) The Dean of Post-Graduate studies shall co-ordinate Post-graduate studies in all colleges, department and sections of the University and shall exercise general supervision on post-graduate thesis and research programmes.

(8) A Dean shall perform all such other functions as are necessary for the proper functioning of colleges and of faculties or as are assigned to him by the Vice-Chancellor.

3. Registrar – (1) The Registrar of the University shall be appointed by the Board on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose by the Board;

Provided that the first Registrar shall be appointed by the Chancellor after consultation with the government for a period not exceeding three years on such terms and conditions as the Chancellor may determine.

(2) The Registrar shall be responsible for the custody of the records and the common seal of the University. He shall be the ex-officio secretary to the Board and the Academic Council and shall maintain the minutes of the meetings.

(3) The Registrar shall place before the Board and the Academic Council all such information as may be required for transacting business in the meetings.

(4) The Registrar shall in addition to as specified in clause (2) and (3), exercise the powers and perform the functions as under :

- (a) to make all necessary arrangements for the conduct of an examination, training workshop, seminar or any other programme of the University;
- (b) to perform all such functions as are assigned to him by the Vice-Chancellor, the Board of the Academic Council;
- (c) to submit to the Chancellor the copies of the agenda and the minutes of the meeting of the Board, Academic Council or any committee thereof;
- (d) to assign the powers of attorney, verify pleadings, appear in the court and authorise a person to appear for and on behalf of the University in a suit or other proceedings filed by or against the University; and
- (e) to take disciplinary action against such classes or categories of employees as may be authorized by the Vice-Chancellor.

(7) स्नातकोत्तर अध्ययन का संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय के समस्त महाविद्यालयों, विभागों और अनुभागों में स्नातकोत्तर अध्ययन का समन्वय करेगा और स्नातकोत्तर थीसिस और अनुसंधान कार्यक्रमों पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगा।

(8) संकायाध्यक्ष समस्त ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो महाविद्यालय या संकाय के यथोचित रूप से काम करने के लिए आवश्यक हों या जो कुलपति द्वारा उसे समनुदेशित किये जाये।

3. कुलसचिव – (1) विश्वविद्यालय के कुल-सचिव की नियुक्ति बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित समिति की सिफारिश पर, बोर्ड द्वारा की जायेगी :

परन्तु प्रथम कुल-सचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात् तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी जो कुलाधिपति अवधारित करे।

(2) कुल-सचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा और बैठकों के कार्यवृत्तों का संधारण करेगा।

(3) कुलसचिव बोर्ड और विद्या परिषद् के समक्ष ऐसी समस्त सूचना रखेगा जो बैठकों के कारबार को चलाने के लिए अपेक्षित हों।

(4) कुल-सचिव, खण्ड (2) और (3) में यथाविनिर्दिष्ट के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियों को प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा :-

- (क) परीक्षा, प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमीनार या विश्वविद्यालय के किसी अन्य कार्यक्रम के संचालन के लिए समस्त आवश्यक प्रबन्ध करना;
- (ख) समस्त ऐसे कृत्यों का पालन करना जो उसे कुलपति, बोर्ड या विद्या परिषद् द्वारा समनुदेशित किये गये हों;
- (ग) बोर्ड, विद्या परिषद् और उसकी किसी समिति की बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त की प्रतियां कुलाधिपति को प्रस्तुत करना;
- (घ) विश्वविद्यालय या उसके विरुद्ध फाइल किये गये किसी वाद में या अन्य कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय के लिए या उसकी ओर से मुक्तारनामों पर हस्ताक्षर करना, अभिवचन सत्यापित करना, न्यायालय में उपस्थित होना और उपस्थित होने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करना; और
- (ङ) कर्मचारियों के ऐस वर्गों या प्रवर्गों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना जो कुलपति द्वारा प्राधिकृत की जाये।

(5) The salary, allowances and other conditions of service of the Registrar shall be such as may be prescribed by the Ordinances of the University from time to time.

(6) The Registrar shall retire on attaining the age of sixty years.

4. Comptroller – (1) The Comptroller of the University shall be appointed by the Vice-Chancellor on the recommendation of the State Government.

(2) The comptroller shall work under the control of the Vice-Chancellor.

(3) The Salary, allowances and other conditions of service of the Comptroller shall be such as may be prescribed by the Ordinances of the University from time to time.

(4) The Comptroller shall retire on attaining the age of sixty years.

(5) The comptroller shall exercise the powers and perform the functions as under :-

- (a) To advise the Board and the Vice-Chancellor regarding the financial policy;
- (b) to make arrangements for the preparation of the budget of the University and for its presentation to the Board;
- (c) to hold and manage the assets, Investments and properties of the University.
- (d) to exercise supervision and control over the funds of the University;
- (e) to keep all moneys belonging to the University in such a bank or in such manner as may be specified by the Board;
- (f) to ensure that all expenditures are made within the limits fixed by the Authority competent to do so and for the purpose for which money is allotted or granted.
- (g) to prepare and maintain the accounts of the University in the manner as may be specified by the Board;

(5) कुलसचिव का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा समय-समय पर विहित की जायें।

(6) कुल-सचिव साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होगा।

4. नियंत्रक – (1) विश्वविद्यालय का नियंत्रक, राज्य सरकार की सिफारिश पर कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) नियंत्रक कुलपति के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा।

(3) नियंत्रक का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा समय-समय पर विहित की जायें।

(4) नियंत्रक साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा।

(5) नियंत्रक निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा :—

(क) वित्तीय नीति के संबंध में बोर्ड और कुलपति को सलाह देना;

(ख) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करने के लिए और बोर्ड को उसके प्रस्तुतिकरण के लिए प्रबन्ध करना;

(ग) विश्वविद्यालय की आस्तियां, विनिधान और सम्पत्तियां धारण करना और उनका प्रबन्ध करना।

(घ) विश्वविद्यालय की निधियों का पर्यवेक्षण करना और उन पर नियंत्रण रखना;

(ङ) विश्वविद्यालय की समस्त धनराशि को ऐसे बैंक में या ऐसी रीति से रखना, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये;

(च) यह सुनिश्चित करना कि सम्पूर्ण व्यय ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत सीमाओं के भीतर और उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए धनराशि आवंटित या मंजूर की गयी है, किये जाते हैं;

(छ) विश्वविद्यालय के लेखे ऐसी रीति से तैयार और संधारित करना जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये;

- (h) to supervise the collection of revenues of the University and to advise on the method of such collection;
- (i) to keep watch on the cash and bank balance of the University;
- (j) to ensure that the registers of properties of the University are properly maintained and that stocks of all equipments, instruments and other materials in the offices, workshop, laboratories or other premises are duly checked and safely stored;
- (k) to call for any information or report necessary for verification from any office or center or institution of the University; and
- (l) to perform such other functions as may be assigned to him by the Board of the Vice-Chancellor.

5. Controller of Examination – (1) The Controller of Examination shall be a full time paid officer of the University. He shall be appointed by the Board on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose by the Board :

Provided that the first Controller of Examination shall be appointed by the Vice-Chancellor after consultation with the Government for a period not exceeding three years on such terms and conditions as may be prescribed by the ordinance of the University from time to time.

(2) The salary, allowances and other conditions of service of the controller of Examination shall be such as may be prescribed by the Ordinance of the University, from time to time.

(3) The Controller of Examination shall be under the General control of the Registrar and shall be overall in-charge for the conduct of examinations and shall perform such other functions as may be prescribed by the ordinance of the University from time to time.

6. University Librarian – (1) There shall be appointed a University Librarian by the Vice-Chancellor with the approval of the Board.

(2) The Librarian shall deal with all the matters concerning University Library including the purchase, cataloguing and maintenance of books, journals, periodicals, reports, etc.

(3) The Librarian shall be responsible for the operation of the University library and shall work under the control of the Vice-Chancellor.

(4) The salary, allowances and other conditions of service of the Librarian shall be such as may be prescribed by the Ordinance of the University.

- (ज) विश्वविद्यालय के राजस्व संग्रहण का पर्यवेक्षण करना और ऐसे संग्रहण के तरीकों पर सलाह देना;
- (झ) विश्वविद्यालय की रोकड़ और बैंक अतिशेषों पर निगरानी रखना;
- (ञ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों के रजिस्टर समुचित रूप से संधारित किये जाते हैं और कार्यालयों, कार्यशालाओं, प्रयोगशालाओं या अन्य परिसर के समस्त उपस्करों, औजारों और अन्य सामग्रीयों के स्टॉक की सम्यक् रूप से जांच की जाती है और उन्हें सुरक्षित रूप से भंडारित किया जाता है;
- (ट) विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यालय या केन्द्र या संस्था से सत्यापन के लिए आवश्यक कोई भी सूचना या रिपोर्ट मंगवाना; और
- (ठ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो उसे बोर्ड या कुलपति द्वारा समनुदेशित किये जायें।

5. परीक्षा नियंत्रक – (1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। वह बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जायेगा :

परन्तु पहला परीक्षा नियंत्रक कुलपति द्वारा सरकार से परामर्श करने के पश्चात् तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा समय-समय पर विहित की जाये।

(2) परीक्षा नियंत्रक का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा समय-समय पर विहित की जायें।

(3) परीक्षा नियंत्रक कुल-सचिव के सामान्य नियंत्रणाधीन होगा और परीक्षाओं के संचालन का समग्र प्रभारी होगा तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा समय-समय पर विहित किये जायें।

6. विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष – (1) कुलपति द्वारा, बोर्ड के अनुमोदन से एक विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष, नियुक्त किया जायेगा।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकों, जर्नलों, नियतकालिक पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों इत्यादि के क्रय, सूचीकरण और संधारण सहित विश्वविद्यालय पुस्तकालय से संबंधित समस्त विषयों में कार्यवाही करेगा।

(3) पुस्तकालयाध्यक्ष विश्वविद्यालय पुस्तकालय के प्रचालन के लिए उत्तरदायी होगा और कुलपति के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा।

(4) पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट की जायें।

7. Board of Management – (1) The Board shall consist of the following members, namely :-

- I - Vice Chancellor; : Ex-officio Chairman
- II- Nominated and elected members :-
 - (b) One Dean of the faculties to be nominated by the Vice-Chancellor
 - (c) two Professors of the University nominated by the Vice-Chancellor (both not being from the same faculty);
 - (d) two teachers of affiliated colleges; other than professors, Deans, Heads of University Departments, Directors and Principals, who possess at least ten years teaching experience of degree or post-graduate classes on 1st January immediately preceding the year in which elections are held, to be elected in the manner prescribed by the Ordinance of the University;
 - (e) one eminent educationist by the Chancellor, not being a teacher connected with the University or any college, institution affiliated with the University;
 - (f) One eminent educationist to be nominated by the State Government not being a teacher connected with the State Government not being a teacher connected with the University or any College, institution affiliated by the University; and
 - (g) Two members of the State Legislative Assembly nominated by the Speaker.
- III- Ex-officio members :-
 - (a) Secretary to the Government, Department of Education, Government of Rajasthan;
 - (b) Secretary to the Government; Department of Finance, Government of Rajasthan;
 - (c) Secretary to the Government; Department of Planning, Government of Rajasthan;
 - (d) Pro-Vice Chancellor, if any;
 - (e) Director of College Education, Government of Rajasthan; and
 - (f) Registrar of the University : Member Secretary.

7. **प्रबन्ध बोर्ड** – (1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे।

I कुलपति : पदेन अध्यक्ष;

II नाम निर्देशित और निर्वाचित सदस्य :-

(क) कुलपति का चक्रानुक्रम से नामनिर्देशित किया जाने वाला संकायों का एक अध्यक्ष;

(ख) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित, विश्वविद्यालय के दो आचार्य (दोनों एक ही संकाय से नहीं);

(ग) संबद्ध महाविद्यालयों के आचार्य, संकायाध्यक्षों, विश्वविद्यालय के विभागों के अध्यक्षों, निदेशकों, और प्राचार्यों से भिन्न दो अध्यापक जो उस वर्ष, जिसमें कि निर्वाचन किये जाये, की ठीक पूर्ववर्ती जनवरी को स्नातक या स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का कम से कम दस वर्ष का अनुभव रखते हों और जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में विहित रीति से निर्वाचित किये जाये;

(घ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक विख्यात शिक्षाविद् जो विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी महाविद्यालय या संस्था से संबंधित अध्यापक नहीं हो;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक विख्याता शिक्षाविद् जो विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी भी महाविद्यालय या संस्था से संबंधित अध्यापक नहीं हो; और

(च) राज्य विधान सभा के, उसके अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित दो सदस्य।

III पदेन सदस्य :-

(क) शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार;

(ख) शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार;

(ग) शासन सचिव, योजना विभाग, राजस्थान सरकार;

(घ) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो;

(ङ) निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार; और

(च) कुल-सचिव, विश्वविद्यालय : सदस्य सचिव

(3) A nominated or elected member of the Board shall hold office for a term of two years and shall be eligible for appointment for a second successive term. Such a person may be nominated again only after four years of expiry of the previous term of two years or, as the case may be, four years.

(4) Six members shall form the quorum for a meeting of the Board.

(5) The members of the Board shall not be entitled to any salary but may be paid such traveling and daily allowances as may be fixed by the Board.

(6) The Chairman of the Board may exercise such powers of the Board as may be delegated to him by the board.

(7) The minutes of the meetings of the Board shall be recorded and maintained by the member-secretary of the Board.

(8) A Secretary to the Government who is, for any reason, unable to attend any meeting of the Board as its member, may depute any officer subordinate to him to attend such meeting.

(9) The Board shall exercise the powers and perform the functions as under :

- (a) to manage and administer the finances, revenue, assets and properties of the University;
- (b) to control and supervise all the administrative affairs of the University;
- (c) to approve or sanction the annual budget of the University;
- (d) to acquire, dispose of, hold or control the properties and funds of the University;
- (e) to accept the transfer of any movable or immovable property on behalf of the University;
- (f) to administer the funds placed at the disposal of the University for certain specific purposes;
- (g) to create any posts of teachers and employees in the academic or administrative or any other department or office;
- (h) to determine the terms and conditions of service of teachers and employees of the University;

(2) बोर्ड का नामनिर्देशित या निर्वाचित सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद-धारण करेगा और द्वितीय उत्तरवर्ती अवधि के लिए नियुक्ति का पात्र होगा। ऐसे व्यक्ति को पूर्व की दो वर्ष या, यथास्थिति, चार वर्ष की अवधि की समाप्ति के चार वर्ष पश्चात् ही पुनः नामनिर्देशित किया जा सकेगा।

(3) बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति छः व्यक्तियों से होगी।

(4) बोर्ड के सदस्य किसी भी वेतन के हकदार नहीं होंगे, किन्तु उन्हें ऐसे यात्रा और दैनिक भत्ते संदत्त किये जायेंगे जो बोर्ड द्वारा नियत किये जायें।

(5) बोर्ड के अध्यक्ष बोर्ड की ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगा जो बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जायें।

(6) बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा अभिलिखित और संधारित किये जायेंगे।

(7) कोई शासन सचिव जो किसी कारण से बोर्ड के सदस्य के रूप में उसकी किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो ऐसी बैठक में उपस्थिति होने के लिए अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

(8) बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा :-

- (क) विश्वविद्यालय के वित्त, राजस्वों, आस्तियों और सम्पत्ति को प्रबन्धित और प्रशासित करना;
- (ख) विश्वविद्यालय के समस्त प्रशासनिक कार्यकलाप को नियंत्रित और पर्यवेक्षित करना;
- (ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट को अनुमोदित या मंजूर करना।
- (घ) विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों और निधियों को अर्जित, व्ययित, धारित या नियंत्रित करना।
- (ङ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण को स्वीकार करना;
- (च) कतिपय विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययनाधीन रखी गयी निधियों को प्रशासित करना;
- (छ) शैक्षणिक या प्रशासनिक अथवा किसी भी अन्य विभाग या कार्यालय में अध्यापकों और कर्मचारियों के किन्हीं भी पदों का सृजन करना;
- (ज) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें अवधारित करना;

- (i) to specify the qualifications and functions of teachers and employees;
- (j) to appoint committees, standing or temporary, for any purpose;
- (k) to permit or approve the borrowing of money and to make arrangement for its repayment
- (l) to invest money in stocks, funds or securities or in approved banks or other financial institutions or in the purchases of assets or properties in consultation with the Finance Committee;
- (m) to regulate and approve the appointments of Visiting Professors, Emeritus Professors, Fellows, Scientists and experts and to determine the terms and conditions of such appointments.
- (n) to enforce discipline in teachers and employees; and
- (o) to regulate and determine all matters concerning the University in accordance with the Act and the Statutes.
- (10) The Board shall meet at such intervals, as it deems necessary.

Provided that a meeting shall be held at least once in every two months.

8. Academic Council - (1)The Academic Council of the University shall consist of the following members namely ;-

- (a) Vice Chancellor : Ex-officio Chairman
- (b) Pro-Vice-Chancellor, if any ;
- (c) Dean of Post Graduate Studies;
- (d) Dean of Colleges;
- (e) Deans of all faculties of the University;
- (f) Regional Director, if any;
- (g) Chairman of Board of Studies;
- (h) Heads of University Departments of the Status of a Professors;
- (i) Director of College Education; Rajasthan;

- (झ) अध्यापकों और कर्मचारियों की अर्हताएँ और कृत्य विनिर्दिष्ट करना;
 - (ञ) किसी भी प्रयोजन के लिए स्थायी या अस्थायी समितियां नियुक्त करना;
 - (ट) धन के उधारग्रहण की अनुज्ञा देना या अनुमोदन करना और उसे प्रतिसंदाय की व्यवस्था करना;
 - (ठ) वित्त समिति के परामर्श से स्टॉकों, निधियों या प्रतिभूतियों में या अनुमोदित बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं में या आस्तियों अथवा सम्पत्तियों के क्रय में धन विनिहित करना;
 - (ड) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, अध्येतओं, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की नियुक्तियों को विनियमित और अनुमोदित करना तथा ऐसी नियुक्तियों के निबन्धन और शर्तें अवधारित करना;
 - (ढ) अध्यापकों और कर्मचारियों में अनुशासन प्रवृत्त करना;
 - (ण) विश्वविद्यालय से संबंधित सभी विषयों को अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विनियमित और अवधारित करना।
- (9) बोर्ड की बैठक ऐसे अन्तरालो पर होगी जो वह आवश्यक समझे।
परन्तु प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बैठक तो की ही जायेगी।

8. विद्या परिषद् – (1) विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

- (क) कुलपति : पदेन अध्यक्ष;
- (ख) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो;
- (ग) संकायाध्यक्ष, स्नातकोत्तर अध्ययन;
- (घ) संकायाध्यक्ष, महाविद्यालय;
- (ङ) विश्वविद्यालय के समस्त संकायों के अध्यक्ष,
- (च) क्षेत्रीय निदेशक, यदि कोई हो;
- (छ) अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष;
- (ज) आचार्य की प्रास्थिति के, विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष;
- (झ) निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान;

- (j) Chairman, Board of Secondary Education Rajasthan;
- (k) Dean of Students Welfare, if any;
- (l) Five Principal to be nominated by the State Government, out of whom at least three shall be from post-graduate colleges affiliated in the University;
- (m) One representative of each of the three Universities namely, the University of Rajasthan, the University of Jodhpur and the Mohan Lal Sukhadia University, Udaipur to be nominated by its Vice-Chancellor; and
- (n) Registrar of the University : Member Secretary

(2) The term of office of a nominated or elected member shall be two years. The quorum of the Council shall consist of atleast one third of the strength.

(3) The Academic Council shall be incharge of the academic activities and affairs of all the colleges and institutions and shall exercise control over the courses, teaching, examinations and the award of degrees, diplomas and certificates.

(4) The Academic Council shall exercise the powers and perform the functions as under :-

- (a) to supervise, control and regulate the academic policy of the University;
- (b) to give directions in the matters of teaching, examination, evaluation research, etc.;
- (c) to take action for improvement of the academic standards;
- (d) to make regulations for academic functioning, discipline, admission, fellowship, fee and other ancillary matters; and
- (e) to do any other thing or act as may be prescribed from time to time.

9. Board of Studies and Faculties – (1) There shall be a Board of Studies in each faculty consisting of such members as may be specified by the Vice-Chancellor. The Dean of the faculty shall be the ex-officio Chairman of its Board of Studies.

- (ज) अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान;
- (ट) संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण, यदि कोई हो;
- (ठ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले पांच प्राचार्य, जिनमें से कम से कम तीन विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से होंगे;
- (ड) तीनों विश्वविद्यालयों अर्थात् राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय और मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर में से प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि; और

(ढ) विश्वविद्यालय का कुलसचिव : सदस्य सचिव

(2) नामनिर्देशित या निर्वाचित सदस्य की पदावधि दो वर्ष की होगी। परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्यों से होगी।

(3) विद्यापरिषद समस्त महाविद्यालयों और संस्थाओं के शैक्षणिक क्रियाकलाप और कार्यकलाप की प्रभारी होगी और पाठ्यक्रमों, अध्यापन, परीक्षाओं पर और उपाधियां, डिप्लोमे और प्रमाण पत्र देने पर नियंत्रण रखेगी।

(4) विद्या परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी :-

- (क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीति को पर्यवेक्षित, नियंत्रित और विनियमित करना;
- (ख) अध्यापन, परीक्षा, मूल्यांकन, अनुसंधान इत्यादि के विषयों में निदेश देना;
- (ग) शैक्षणिक स्तरमानों में सुधार करने के लिए कार्यवाही करना;
- (घ) शैक्षणिक कृत्यकरण, अनुशासन, प्रवेश, अध्येतावृत्ति, फीस और अन्य अनुषंगिक विषयों के लिए विनियम बनाना; और
- (ङ) ऐसी कोई भी अन्य कार्यवाही या कार्य करना जो समय-समय पर विहित किये जायें।

9. अध्ययन बोर्ड और संकाय – (1) प्रत्येक संकाय में एक अध्ययन बोर्ड होगा जिसमें इतने सदस्य होंगे जो कुलपति द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें। संकाय का अध्यक्ष उसके अध्ययन बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा।

(2) There shall be as many faculties as may be determined by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Academic Council. Each Faculty shall comprise such departments with assignment of such subjects as may be specified by the Vice Chancellor.

(3) There shall also be a Post-Graduate faculty with a Dean of Post-Graduate studies in it.

(4) Every department shall have a Head to be appointed by the Vice Chancellor from amongst the Professors or, in the absence of any professors, the Associate professors of that department.

(5) The Board of studies, the Dean and the Head of the department shall exercise such powers and perform such functions as may be specified in the ordinances of the University or the regulation.

10. Selection Committee – Save as otherwise provided in the Act or the Statutes, there shall be a selection committee for appointments to each of the following categories of posts :-

- (a) Professors;
 - (b) Readers;
 - (c) Lecturers;
 - (d) Directors, if any;
 - (e) Heads of institutions, if any; and
 - (f) Other Academic staff
- (2) A selection committee shall consist of the following namely :-
- (i) Vice Chancellor : ex-officio Chairman
 - (ii) one expert from outside the University to be nominated by the Vice-Chancellor;
 - (iii) The Dean of the faculty concerned;
 - (iv) a nominee of the Chancellor;
 - (v) a nominee of the Board;
 - (vi) a nominee of the Government; and
 - (vii) one internal member other than the Chairman of the Board of Studies to be nominated by the Vice-Chancellor every year.

(2) संकाय उतने होंगे जितने कुलपति द्वारा विद्यापरिषद की सिफारिश पर अवधारित किये जाये। प्रत्येक संकाय में ऐसे विभाग होंगे और उन्हे ऐसे विषयों का समनुदेशन होगा, जो कुलपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(3) उसमें एक स्नातकोत्तर संकाय भी होगा जिसमें स्नातकोत्तर अध्ययन का संकायाध्यक्ष होगा।

(4) प्रत्येक विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जिसे कुलपति द्वारा उस विभाग के आचार्यों में से या किसी आचार्य की अनुपस्थिति में सहयुक्त आचार्यों में से नियुक्त किया जायेगा।

(5) अध्ययन बोर्ड, संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।

10. चयन समिति – (1) अधिनियम या परिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय पदों के प्रत्येक निम्नलिखित प्रवर्ग में नियुक्तियों के लिए एक चयन समिति होगी :-

- (क) आचार्य;
- (ख) उपाचार्य;
- (ग) प्राध्यापक;
- (घ) निदेशक, यदि कोई हो;
- (ङ) संस्थाओं के अध्यक्ष यदि कोई हों; और
- (च) अन्य शैक्षणिक स्टाफ

(2) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

- (क) कुलपति : पदेन अध्यक्ष
- (ख) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित, विश्वविद्यालय के बाहर का एक विशेषज्ञ;
- (ग) सम्बन्धित संकाय का अध्यक्ष,
- (घ) कुलाधिपति का एक नामनिर्देशिती;
- (ङ) बोर्ड का एक नामनिर्देशिती; और
- (छ) अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष से भिन्न, कुलपति द्वारा प्रतिवर्ष नामनिर्देशित किया जाने वाला एक आंतरिक सदस्य।

(3) The quorum for a meeting of a selection committee shall be such as may be specified in the ordinances of the University.

(4) The procedure to be followed by a selection committee shall be such as may be specified in the ordinances of the University.

(5) The Selection committee shall make recommendations to the Board which may, while accepting such recommendations, send the same to the Vice-Chancellor for making appointment or may while not accepting them, submit the case together with reason for not accepting the recommendations to the Chancellor whose decision thereon shall be final and the Vice-Chancellor shall take action accordingly.

11. Ex-cadre Promotion. - The Provision of the Rajasthan University Teachers and officers (Selection for Appointment) Act, 1974 (Rajasthan Act 18 of 1974) shall apply in the matter of the ex-cadre promotions in the University.

12. Other Committees. – (1) An Authority may appoint as may standing or special committees as it may deem necessary and may also appoint such person to a committee who is not a member of such Authority.

(2) A Committee may deal with a matter assigned to it and the action taken by the committee shall be final on confirmation by the Authority appointing it.

13. Conditions of service of teachers and employees - All teachers and employees shall, in the absence of any contract in writing to the contrary, be governed by the terms and conditions and the Code of Conduct as may be specified in the ordinances of the University from time to time.

14. Suspension or Removal of teachers and employees-

(1) When suspension appears necessary on account of misconduct on the part of a teacher or an employee the Appointing Authority shall have power to place such teacher or the employee under suspension and to send a report to the Board immediately.

(2) The appointing authority may, after an enquiry in which reasonable opportunity of showing cause and hearing has been given, make an order of removal from service of a teacher or an employee.

(3) Save as provided in clause (2) a teacher or an employee shall not be removed from service without a good cause and without giving him three months notice in writing or three months salary in lieu of notice.

(3) चयन समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति तीन व्यक्तियों से होगी।

(4) चयन समिति द्वारा अनुसूत की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो विश्वविद्यालय अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट की जाये।

(5) चयन बोर्ड को सिफारिश करेगी जो ऐसी सिफारिशों को स्वीकार करने पर उन्हें कुलपति को नियुक्त करने के भेज देगा या उन्हें अस्वीकार करने पर मामले को अस्वीकार करने के कारणों के साथ कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगा जिनका उन पर विनिश्चय अंतिम होगा और कुलपति तदनुसार कार्यवाही करेगा।

11. संवर्ग-बाह्य पदोन्नति – विश्वविद्यालय की संवर्ग-बाह्य पदोन्नतियों के मामले में राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का राजस्थान अधिनियम 18) के उपबन्ध लागू होंगे।

12. अन्य समितियां – (1) कोई प्राधिकरण उतनी स्थायी या विशेष समितियां नियुक्त कर सकेगा जितनी वह आवश्यक समझे और ऐसे व्यक्ति को भी समिति में नियुक्त कर सकेगा जो उक्त प्राधिकरण का सदस्य नहीं है।

(2) समिति उसे समनुदेशित किये गये किस भी विषय पर कार्यवाही कर सकेगी और समिति द्वारा की गई कार्यवाही उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकरण द्वारा पुष्ट कर दिये जाने पर अंतिम होगी।

13. अध्यापकों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें – समस्त अध्यापक और कर्मचारी किसी लिखित प्रतिकूल संविदा के अभाव में ऐसे निबन्धों और शर्तों तथा आचारण संहिता से विनियमित होंगे, जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये।

14. अध्यापकों और कर्मचारियों का निलंबन या हटाया जाना – (1) जहां किसी, अध्यापक या किसी कर्मचारी के दुराचरण के कारण उसका निलंबन आवश्यक प्रतीत हो, वहां नियुक्ति प्राधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह ऐसे अध्यापक या कर्मचारी को निलंबनाधीन रख दे और उसकी रिपोर्ट बोर्ड को तुरन्त भेज दे।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी किसी अध्यापक या कर्मचारी को सेवा से हटाने का आदेश ऐसी जांच करने के पश्चात् कर सकेगा जिसमें उसे हेतुक दर्शित करने का और सुनवाई का उचित अवसर दिया जा चुका हो।

(3) खण्ड (2) में उपबन्धित को छोड़कर, किसी अध्यापक या कर्मचारी को किसी अच्छे हेतुक के बिना और तीन मास का लिखित नोटिस अथवा ऐसे नोटिस के बदले में तीन मास का वेतन दिये बिना सेवा से हटाया नहीं जायेगा।

15. Resignation - (1) In the case of permanent employment, a teacher or an employee may resign from service after giving three months notice or paying three months salary in lieu of notice to the appointing authority. In the case of employment not being permanent, one month's notice or one month's salary shall be sufficient.

(2) The resignation shall take effect from the date on which it is accepted by the appointing authority.

16. Discipline – (1) The discipline shall be maintained in the University by the Vice-Chancellor and he shall have power to take such disciplinary action against a student as appears necessary.

(2) A student may be expelled from the University or rusticated of any period or punished with fine or debarred from taking any examination conducted by the University for one or more years as may be ordered by the Vice-Chancellor.

(3) The result of Examination may be withheld or cancelled in respect of any student as may be ordered by the Vice-Chancellor.

(4) The Heads of recognised institutions shall have power to take disciplinary action against any student of the institution.

17. Management of Affiliated Colleges - (1) Every affiliated college shall be a public educational institution.

(2) The whole of the funds of an affiliated college shall be applied to its own educational purposes, and a college not maintained by the Government shall be fully controlled by a regularly constituted governing body which shall include one representative of the University nominated by the Vice-Chancellor, the Principal and at least one other member of the teaching staff elected by the teaching staff. The rules relating to the constitution of the governing Body shall be subject to the approval of the Board.

(3) Any change in the constitution of the Governing Body shall be subject to the approval of the Board.

(4) The Principal of a college shall be responsible for the internal administration of the college.

15. पदत्याग – (1) कोई अध्यापक या कर्मचारी स्थायी नियोजन की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास का नोटिस देने या उसके बदले में तीन मास का वेतन संदत्त करने के पश्चात् सेवा से पदत्याग कर सकेगा। नियोजन स्थायी न होने की स्थिति में एक मास का नोटिस या एक मास का वेतन संदत्त करना ही पर्याप्त होगा।

(2) पदत्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके लिए स्वीकृति दी जाये।

16. अनुशासन – (1) विश्वविद्यालय में अनुशासन का अनुरक्षण कुलपति करेगा और उसे यह शक्ति होगी कि वह किसी छात्र के विरुद्ध ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही करें जो आवश्यक प्रतीत हो।

(2) किसी छात्र को विश्वविद्यालय से निकाला या किसी भी कालावधि के लिए निष्कासित किया जा सकेगा अथवा जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा में बैठने से एक या अधिक वर्षों के लिए, जैसा कि कुलपति द्वारा आदिष्ट किया जाये, वर्जित किया जा सकेगा।

(3) किसी भी छात्र के संबंध में परीक्षा के परिणाम को, जैसा कि कुलपति द्वारा आदिष्ट किया जाये, रोका या रद्द किया जा सकेगा।

(4) मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधान को संस्था के किसी भी छात्र के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की शक्ति होगी।

17. संबद्ध महाविद्यालयों का प्रबन्ध – (1) प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालय लोक शैक्षणिक संस्था होगा।

(2) संबद्ध महाविद्यालय की समस्त निधियां उसके स्वयं के शैक्षणिक प्रयोजनों के उपयोजित की जायेंगी और जिस महाविद्यालय का संधारण सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा हो वह नियमित रूप से गठित एक ऐसे शासी निकाय द्वारा पूरी तरह नियंत्रित होगा जिसमें कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि, प्राचार्य और अध्यापक वृन्द द्वारा निर्वाचित अध्यापक वृन्द का कम से कम एक अन्य सदस्य होगा। शासी निकाय के गठन से सम्बन्धित नियम ऐसे होंगे जो महाविद्यालय का समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित करे।

(3) शासी निकाय के गठन में का कोई भी परिवर्तन बोर्ड के अनुमोदन के अधधीन होगा।

(4) महाविद्यालय का प्राचार्य महाविद्यालय के आन्तरिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) Every college, not maintained by the Government, shall make appointments to the teaching posts of Principal and other teachers in the college after advertisement and on the recommendations of the selection committee. For the promotion posts the selection committee shall be treated as Promotion Committee. The selection Committee shall be constituted as follows

- A. Selection Committee for the appointment of Principal shall consist of the following members, namely :-
- (i) the President or the Vice-President of the management Committee of the College;
 - (ii) one nominee of the Management Committee;
 - (iii) One nominee of the State Government who should be an educationist (only in the case of colleges receiving grant in-aid from the government); and
 - (iv) Two educationist in the case of colleges receiving grant-in-aid from the State Government and three in the case of colleges not receiving grant-in-aid from the State Government to be appointed by the Vice-Chancellor.

Explanation – Two Educationist being present, four members shall form a quorum.

- B. Selection Committee for appointment to all other teaching posts shall consist of the following members, namely :-
- (i) The President or the Vice-President of the Management Committee of the College;
 - (ii) One nominee of the Management Committee;
 - (iii) Principal of the college;
 - (iv) one nominee of the State Government (only in the case of colleges receiving grant-in-aid from the Government);
 - (v) two subject experts to be appointed by the Management Committee (from a panel to be approved by the Vice-Chancellor);

(5) प्रत्येक वह महाविद्यालय, जिसका संधारण सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा हो, महाविद्यालय के प्राचार्य और अध्यापकों के पदों पर नियुक्तियां विज्ञापन के पश्चात् और चयन समिति की सिफारिशों पर करेगा। पदोन्नति – पदों के लिए चयन समिति को पदोन्नति समिति माना जायेगा। चयन समिति इस प्रकार गठित होगी :-

क. प्राचार्य की नियुक्ति की चयन समिति में निम्न सदस्य होंगे अर्थात् :-

- (i) महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष;
- (ii) प्रबन्ध समिति का एक नामनिर्देशिती;
- (iii) राज्य सरकार का एक नामनिर्देशिती जो कोई शिक्षाविद् होना चाहिये (केवल उन महाविद्यालयों की दशा में जो सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे हैं); और
- (iv) कुलपति द्वारा नियुक्त दो शिक्षाविद् उन महाविद्यालयों की दशा में जो राज्य सरकार से सहायता-अनुदान प्राप्त कर रहे हैं और तीन उन महाविद्यालयों की दशा में जो राज्य सरकार से सहायता-अनुदान प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

स्पष्टीकरण – यदि दो शिक्षाविद् उपस्थिति होतो चार सदस्य गणपूर्ति करेंगे।

ख. अन्य समस्त अध्यापक-पदों की नियुक्ति की चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे

- (i) महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष;
- (ii) प्रबन्ध समिति का एक नामनिर्देशिती;
- (iii) महाविद्यालय का प्राचार्य;
- (iv) राज्य सरकार का एक नामनिर्देशिती (केवल उन महाविद्यालयों की दशा में जो सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे हैं); और
- (v) प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त दो विषय विशेषज्ञ (कुलपति द्वारा अनुमोदित पैनल में से);

- (vi) one representative of the University nominated by the Vice-Chancellor; and
- (vii) the Head of the Department concerned/senior most teacher of the subject concerned in the college provided he has at least 15 years teaching experience in a college out of which he should have put in at least five years service in the same institution.

Explanation - One subject expert being present, five members shall form a quorum.

(6) The selection committee shall report its recommendations to the Management Committee may make appointments as per recommendation or may refer the matter back to the selection committee for fresh recommendations. The Management Committee will inform the Registrar of the University about the action taken in the matter.

(7) Every College shall have a duly constituted college Council properly representative of the teaching staff to advise the Principal in the administration of the College.

(8) No affiliated institution shall be allowed to discontinue the study of any Subject/Faculty without prior permission of the University. An application for such permission shall be made to the Registrar by the Head of the Institution duly forwarded by the Management at least one full academic year in advance, giving reasons in support of the proposal.

(9) Every college not maintained by Government shall satisfy the Board that adequate financial provision is available for its efficient maintenance. If at any time the governing body of a College be unable to run the college, it shall inform the Board at least one full academic year in advance and shall give a notice of a similar duration, viz. One full academic year to the employees of the institution of their services :

Provided that the closure of an institution shall be in gradual stages in respect of each course of study for which it is affiliated, starting from the first year of the course.

(10) Every college shall maintain such registers and records as may be prescribed by the Ordinances of the University and furnish such statistical and other information as the University may from time to time specify.

- (vi) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित, विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि; और
- (vii) महाविद्यालय के सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष/संबंधित विषय का वरिष्ठतम अध्यापक यदि किसी महाविद्यालय में अध्यापन करने का कम से कम 15 वर्ष का अनुभव उसे प्राप्त हो जिसमें से कम से कम पांच वर्ष की सेवा उसने उसी संस्था में की हो।

स्पष्टीकरण – यदि एक विषय विशेषज्ञ उपस्थित हो तो पांच सदस्य गणपूर्ति करेंगे।

(6) चयन समिति अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट प्रबन्ध समिति को करेगी। प्रबन्ध समिति सिफारिश के अनुसार नियुक्तियां कर सकती है या मामले को दूसरी सिफारिशें करने के लिए चयन समिति को वापस निर्देशित कर सकती है। प्रबन्ध समिति, मामले में की गयी कार्यवाही के बारे में विश्वविद्यालय के कुलसचिव को सूचना देगी।

(7) महाविद्यालय के प्रशासन के संबंध में प्राचार्य को सलाह देने के लिए प्रत्येक महाविद्यालय में समुचित रूप से गठित एक महाविद्यालय परिषद् होगी जो अध्यापकवृन्द का यथोचित प्रतिनिधित्व करेगी।

(8) किसी भी संबद्ध महाविद्यालय को किसी भी विषय/संकाय के अध्ययन को विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के बिना रोकने नहीं दिया जायेगा। ऐसी अनुमति के लिए प्रबन्ध मण्डल द्वारा समुचित रूप से अग्रेषित आवेदन प्रस्ताव के समर्थन का कारण देते हुए, कम से कम पूरे एक वर्ष पहले, संस्था के अध्यक्ष द्वारा कुलसचिव को किया जायेगा।

(9) प्रत्येक ऐसा महाविद्यालय, जिसका संधारण सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा हो, बोर्ड को इस बात से आश्वस्त करेगा कि उसके दक्षतापूर्ण संधारण के लिए यथोचित वित्त व्यवस्था है। यदि किसी भी समय किसी महाविद्यालय का शासी निकाय महाविद्यालय को चलाने में असमर्थ हो जाये तो कम से कम पूरे एक शिक्षा वर्ष पहले वह बोर्ड को सूचना देगा और ऐसी ही अवधि, अर्थात् पूरे एक शिक्षा वर्ष का एक नोटिस संस्था के कर्मचारियों को उनकी सेवाओं की समाप्ति के लिए देगा :

परन्तु किसी संस्था का बन्द होना, उस प्रत्येक पाठ्यक्रम के संबंध में, जिसके लिए वह संबद्ध है, यथाक्रम चरणों में होगा और उसका प्रारंभ पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष से होगा।

(10) प्रत्येक महाविद्यालय ऐसे रजिस्टर और अभिलेख रखेगा जैसे विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें और ऐसी सांख्यिकी तथा अन्य सूचना देगा जैसी कि समय-समय पर विश्वविद्यालय विनिर्दिष्ट करे।

(11) Every College shall submit an annual report on the working of the college during the previous year, giving the particulars and the circumstances of any changes in the staff or the management, the number of students, and a statement of income and expenditure and such other information as may be required.

(12) Every College shall provide instruction in such subject and in preparation for such examination as may be authorised in respect of that college from time to time, by the Board.

(13) Every College shall satisfy the University that it maintains a satisfactory standard of education efficiency for the purposes for which recognition is enjoyed or sought.

(14) Every College shall satisfy the University for the following namely :-

- (i) that the staff in each subject is adequate and in accordance with the rules prescribed by the University and that their emoluments and the conditions of their service are such as may be approved by the University'
- (ii) that a proportion of teachers to students which is not smaller than a minimum to be prescribed by Ordinance and which is sufficient for thorough tutorial supervision is maintained;
- (iii) that the staff of a college for women shall, as far as possible, be composed of women;
- (iv) that every teacher in a college not maintained by the Government, shall be employed under a written contract stating the conditions of his service and the salary to be paid to him;
- (v) that the college not maintained by the Government shall maintain a provident fund for the benefit of members of its teaching staff; and
- (vi) that a teacher dismissed for misconduct by an affiliated college shall not be employed by any other affiliated college without the previous consent in writing of the Vice chancellor.

(15) Every college shall satisfy the University that proper discipline is maintained in the college and the hostels.

(11) महाविद्यालय के पिछले वर्ष के कार्यकरण के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक महाविद्यालय प्रस्तुत करेगा और उसमें कर्मचारीवृन्द या प्रबन्ध बोर्ड में हुए किसी परिवर्तन की विशिष्टियां और परिस्थितियां विद्यार्थियों की संख्या और आय तथा व्यय का विवरण और ऐसी अन्य सूचना दी जायेगी जिसकी अपेक्षा की जाये।

(12) प्रत्येक महाविद्यालय ऐसे विषयों में और ऐसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शिक्षण की व्यवस्था करेगा जो उस महाविद्यालय के संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत की जाये।

(13) प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय को इस बात से आश्वस्त करेगा कि वह शैक्षिक दक्षता का एक संतोषप्रद स्तर उन प्रयोजनों के लिए संधारित कर रहा है जिनके लिए उसे मान्यता मिली हुई है या जिनके लिए वह मान्यता प्राप्त करना चाहता है।

(14) प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय को निम्नलिखित केलिए आश्वस्त करेगा, अर्थात् :-

- (i) कि प्रत्येक विषय में यथोचित और विश्वविद्यालय द्वारा विहित नियमों के अनुसार कर्मचारी वृन्द है और कि उसकी परिलब्धियां और सेवा-शर्तें ऐसी है जैसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित हो;
- (ii) कि अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच ऐसा अनुपात रखा जा रहा है जो अध्यादेशों द्वारा न्यूनतम रूप में विहित से कम नहीं हो और जो पूरे शिक्षकीय पर्यवेक्षण के लिए पर्याप्त हो;
- (iii) कि महिला महाविद्यालय का कर्मचारीवृन्द यथासंभव महिलाओं का ही होगा;
- (iv) कि ऐसे महाविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक को, जिसका संधारण सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा हो, ऐसी लिखित संविदा के अधीन ही नियोजित किया जायेगा जिसमें उसकी सेवा की शर्तों और उसे संदत्त किये जाने वाले वेतन का कथन हो ;
- (v) कि जिस महाविद्यालय का संधारण सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा हो वह अपने अध्यापकवृन्द के सदस्यों के फायदे के लिए भविष्य निधि संधारण करेगा; और
- (vi) कि किसी संबद्ध महाविद्यालय द्वारा, अवचार के लिए पदच्युत किसी अध्यापक को, कुलपति की लिखित पूर्वानुमति के बिना, किसी अन्य संबद्ध महाविद्यालय द्वारा नियोजित नहीं किया जायेगा।

(15) प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय को इस बात से आश्वस्त करेगा कि उस महाविद्यालय और छात्रावासों में समुचित अनुशासन बनाये रखा जा रहा है।

(16) Every College shall made adequate provision for the residence of its students not residing with their parents or recognised guardians, and shall provide adequate facilities for the physical exercise and health of its students and shall employ an efficient system of medical examination and care. Residence in college or in its hostel shall be governed by the guidelines issued by the University from time to time.

18. Autonomous colleges – (1) The University shall invite proposals from affiliated colleges for conferment of autonomous status. An affiliated college having not less than 10 years of standing will be eligible to apply for the conferment of Autonomy.

(3) A College on conferment of autonomous status shall have the following committees to ensure proper management of academic, financial and general administrative affairs namely :-

- (i) The Governing Body;
- (ii) The Academic Council; and
- (iii) The Board of Studies

(4) The College shall also have non-statutory advisory bodies like Finance Committee, Planning and Evaluation Committee, Grievances / appeals Committee, Examination Committee, Admission Committee, Library Committee and a committee on student welfare and extra-curricular matters for help and advice to facilitate smooth working and development of he college.

(5) The Composition terms and functions of the statutory bodies and any other body in an autonomous college shall be such as may be prescribed by the Ordinance of the University from time to time.

S. R. Bhansali
Secretary to the Government

(16) प्रत्येक महाविद्यालय अपने उन विद्यार्थियों के आवास के लिए समुचित व्यवस्था करेगा जो अपने माता-पिता या मान्यता प्राप्त संरक्षकों के साथ निवास कर रहे हैं और अपने विद्यार्थी के शारीरिक अभ्यास और स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा और चिकित्सीय परीक्षा और देखभाल के लिए एक दक्षतापूर्ण पद्धति अपनायेगा। किसी महाविद्यालय या उसके छात्रावासों में होने वाले आवास का विनियमन उन मार्गदर्शक सिद्धान्तों से होगा जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें।

18. स्वायत्त महाविद्यालय – (1) स्वायत्त प्रास्थिति का प्रदान किये जाने के लिए विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालयों से प्रस्ताव आमंत्रित करेगा। 10 से अन्यून वर्षों के की अवस्थिति का महाविद्यालय स्वायत्तता का प्रदान किये जाने हेतु आवेदन करने के लिए अर्ह होगा।

(2) स्वायत्त प्रास्थिति का प्रदान हो जाने पर, महाविद्यालय में निम्न-लिखित समितियां शैक्षणिक, वित्तीय और सामान्य प्रशासनिक कार्यों के समुचित प्रबन्ध का सुनिश्चयन करने के लिए होंगी, अर्थात् :-

- (प) शासी निकाय;
- (पप) विद्या परिषद् और
- (पपप) अध्ययन बोर्ड।

(3) महाविद्यालय में वित्त समिति, योजना और मूल्यांकन समिति, शिकायत/अपील समिति, परीक्षा समिति, प्रवेश समिति, पुस्तकालय समिति और महाविद्यालय के सुचारु संचालन और विकास को सुखकर बनाने की दृष्टि से सहायता करने और सलाह देने के लिए एक विद्यार्थी कल्याण और पाठ्येत्तर मामलों संबंधी समिति जैसे अकानूनी और सलाहकार निकाय भी होंगें।

(4) किसी स्वायत्त महाविद्यालय के कानूनी निकायों और किसी भी अन्य निकाय का गठन, अवधि और कृत्य ऐसे होंगें जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा समय-समय पर विहित किये जायें।

एस. आर. भंसाली
शासन सचिव।